



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226260
CG-DL-E-30032021-226260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943
No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

मामला सं. एडी-एसएसआर-13/2020

विषय : यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से “सामान्य बुटानोल” के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

फा. सं. 7/29/2020-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. आन्ध्र प्रदेश पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” अथवा “डी आई” के रूप में भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका (इसके बाद इसे “संबद्ध देश” के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सामान्य बुटानोल (इसके बाद इसे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे “नियमावली” अथवा “पाटनरोधी नियम” के रूप में कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।
3. अधिनियम की धारा 9क(5) में अन्य के साथ यह प्रावधान है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले हटाया न जाए, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए एक विधिवत साक्ष्य सहित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी अपेक्षित है कि क्या पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
4. नियमावली के नियम 23 (1ख) के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं :
“.....इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत अनुरोध के आधार पर उस अवधि से पहले, उस अवधि की समाप्ति से तर्कसंगत अवधि के भीतर एक समीक्षा द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।”
5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दाखिल की गई, पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. 7/29/2020- डीजीटीआर (एडी- एसएसआर-13/2020) के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की और यह भी जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की जरूरत है।
6. पहले, प्राधिकारी ने दिनांक 20 नवंबर, 2014 को यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से सामान्य बूटानोल के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की और जांच करने के बाद, दिनांक 19 फरवरी, 2016 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/4/2013- डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में की गई सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या 13/2016- सीमा शुल्क के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 5 साल के लिए लगाया गया।

ख. प्रक्रिया

7. जांच के संबंध में, नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :-
 - क. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 अगस्त, 2020 की एक अधिसूचना जारी की।
 - ख. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार

जांच शुरू करने की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचार जानने का अनुरोध किया। सूचना दाखिल करने की समय-सीमा पहले 20 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाई गई थी, उसके बाद 10 नवंबर, 2020 तक बढ़ाई गई और तदोपरांत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 नवंबर, 2020 तक एक अंतिम विस्तार प्रदान किया गया।

- ग. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति प्रदान की।
- घ. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए संबद्ध देशों से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का भी अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजी गई प्रश्नावली और पत्र की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पतों सहित उन्हें भी भेजी गई थी।
- ड. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी, जिसके ब्यौरे नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संगत सूचना प्रकट करने के लिए आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे :-

- i. मै० ओक्सिया जी एम बी एच, जर्मनी
- ii. मै० जैक एस. ए. यूएल, पोलैण्ड
- iii. मै० पर्सटार्प ओक्सो ए बी, स्वीडेन
- iv. मै० बी एएस एफ लैम्परथीम जी एम बी एच, जर्मनी
- v. मै० ई आई एफ ऑटोचेम एस.ए.
- vi. मै० आर्केमा कारपोरेशन, फ्रांस
- vii. मै० जैक जैक लिली, पोलैण्ड
- viii. मै० पेट्रोनास केमिकल्स डेरीवेटिव्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया
- ix. मै० ससोल मिडिल ईस्ट एफ जेड सी ओ, साउथ अफ्रीका
- x. मै० ग्रुपा अजोटी केडजरजिन, पोलैण्ड
- xi. मै० ओल्टकिम एस. ए., रोमानिया
- xii. मै० गाजप्रोम नेफ्टेखिम सालवट, रूसियन फेडरेशन
- xiii. मै० आई एन ई ओ एस ऑक्साइड (ऑक्सोकेमी), बेल्जियम
- xiv. मै० सिबुर खिमप्रोम, आस्ट्रिया
- xv. मै० डो ऑप्टिकल केमिकल्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया
- xvi. मै० डो केमिकल जी एम बी एच, जर्मनी
- xvii. मै० यूनीपेट्रोल, एएस
- xviii. मै० ईस्टमैन केमिकल, सिंगापुर
- xix. मै० ईस्टमैन केमिकल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लि०, सिंगापुर
- xx. मै० डो केमिकल, यू एस ए
- xxi. मै० ईस्टमैन केमिकल कंपनी, यू एस ए
- xxii. मै० ओक्सिया कारपोरेशन
- xxiii. मै० आई सी सी केमिकल कारपोरेशन, यू एस ए

- xxiv. मै० बी ए एस एफ, यू एस ए
- xxv. मै० टेक्स मार्क केमिकल्स, यू एस ए
- xxvi. मै० आई एन ई ओ एस, यू एस ए
- xxvii. मै० ससोल, नॉर्थ अमेरिका
- च. निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं :-
- i. मै० पेट्रोनास केमिकल्स मार्केटिंग (लिबुआन) लि०, मलेशिया और पेट्रोनास केमिकल्स डेरीवेटिव्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया
- ii. मै० बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया
- छ. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता एसोसिएशनों को जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी, जिनके नाम और पते, भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में उनके नियमों से अवगत कराने का परामर्श दिया गया था :
- i. मै० के एल जे प्लास्टीसिजर्स लि०
- ii. मै० पी सी एल ऑयल एंड सोल्वेंट लि०
- iii. मै० ए पी आई इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
- iv. मै० रचना प्लास्टिसाइजर्स
- v. मै० विसेन इंडस्ट्रीज लि०
- vi. मै० माइक्रो लिंक प्रा० लि०
- vii. मै० अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लि०
- viii. मै० ललिता चेम इंडस्ट्रीज प्रा० लि०
- ix. मै० दीपक नाइट्राइट लि०
- x. मै० पायल पोलिप्लास्ट प्रा० लि०
- xi. मै० डॉर्फकेतल स्पेशियलिटी प्रा० लि०
- xii. मै० अनुशक्ति केमिकल्स एंड ड्रग लि०
- xiii. मै० सी जे शाह एंड कंपनी
- xiv. मै० रमणिक लाल एस गोसालिया एंड कंपनी
- xv. मै० हरेश पेट्रोकेम प्रा० लि०
- xvi. मै० हेजल मार्केन्टाइल लि०
- xvii. मै० कुदन राइस मिल्स लि०
- xviii. मै० डागा ग्लोबल केमिकल्स लि०
- xix. मै० पोन प्योर केमिकल इंडिया प्रा० लि०
- xx. मै० पेट्रोकेम मिडिल ईस्ट प्रा० लि०
- xxi. मै० के एल जे रिसोर्सेज प्रा० लि०
- xxii. मै० एसियन सोल्वोकेम प्रा० लि०
- xxiii. मै० युग इंटरनेशनल प्रा० लि०

- xxiv. मै० अंकिता केमिकल कारपोरेशन लि०
- xxv. मै० अप्प्राइ इंटरप्राइजेस
- xxvi. मै० ओवरसीज पोलिमर प्रा० लि०
- xxvii. मै० केतुलकेम प्रा० लि०
- xxviii. मै० बालमुकुंद केमिकल्स प्रा० लि०
- xxix. मै० पारस डाइज एंड केमिकल्स प्रा० लि०
- xxx. मै० जागृति प्लास्टिक्स लि०
- xxxi. मै० सुरभी इंटरप्राइजेस प्रा० लि०
- xxxii. मै० संजय केमिकल्स प्रा० लि०
- xxxiii. मै० सुप्रीम इंडिया इंटरनेशनल प्रा० लि०
- xxxiv. मै० बुनीशाकेम प्रा० लि०
- xxxv. मै० नूतन केमिकल्स प्रा० लि०
- xxxvi. मै० प्लास्टिकेम इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
- xxxvii. मै० देव केमिकल्स
- xxxviii. मै० त्रिवेणी केमिकल्स प्रा० लि०
- xxxix. मै० तुलसी केमिकल्स
- xl. मै० ए बी इंटरप्राइजेस
- ज. निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है :-
- बी ए एस एफ इंडिया लि०
 - पायल पोलिप्लास्ट प्रा० लि०
 - के एल जे रिसोर्सेज लि०
 - मै० के एल जे प्लास्टीसाइजर्स लि०
- झ. ईस्टमैन केमिकल कंपनी और इंडिया प्लास्टिसाइजर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जांच के दौरान अनुरोध दाखिल किए हैं।
- ञ. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है अथवा इस जांच से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। प्राधिकारी ने इस बात से संतुष्ट होने पर, आवश्यकता के अनुसार, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना पर गोपनीयता के रूप में विचार किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जब भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- ठ. हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 31 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना के तहत अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ न साझा करने के लिए कहा गया था।

- ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (जांच की अवधि) पर विचार किया गया है। क्षति जांच की अवधि को अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 और अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तथा जांच की अवधि के रूप में विचार किया गया है।
- ढ. आवेदकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त/ अनुपूरक सूचना की मांग की गई थी। घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सत्यापन जांच के प्रयोजन से आवश्यकता के अनुसार किया गया था।
- ण. गैर- क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक- III के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण की लागत तथा बिक्री की लागत के आधार पर है। इस प्रकार की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. भारत में संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण करने के लिए, विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए सौदा-वार आयात के आंकड़ों के संबंध में वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सूचना को अपनाया गया है।
- थ. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 19 फरवरी, 2021 को हुई मौखिक सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक में प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया था, जिसमें विभिन्न पक्षकारों द्वारा भाग लिया गया था। यह मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, उन्हें लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार उसके बाद यदि कोई रिजवाइंडर दाखिल करना चाहे, तो दाखिल कर सके।
- द. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से संबंधित एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम जांच परिणामों का आधार होता, दिनांक 16.03.2021 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 23.03.2021 तक उन पर टिप्पणियां देने की अनुमति दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में आवश्यकता के अनुसार विचार किया गया है।
- ध. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान करने से इंकार किया है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं की है, अथवा उसे जांच में पर्याप्त रूप से छिपाया है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना दर्ज किया है।
- न. इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और नियमावली के तहत इस पर विचार किया है।
- प. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 71.65 रूपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का दायरा

8. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद सामान्य बुटानोल है। सामान्य बुटानोल एक 4 कार्बन सरंचना और मोलिक्यूलर फार्मूला C_4H_9OH के साथ एक प्राथमिक अल्कोहल है। सामान्य बुटानोल यूरिया, मेलामाइन अथवा फिनोलिक रेसिन से प्राप्त बेकिंग फिनिश और एसिड – क्योरेबल लेक्वर्स के लिए एक उत्कृष्ट सोल्वेंट है। सामान्य बुटानोल (एन- बुटानोल) का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों और प्रिंटिंग इंक में सोल्वेंट के रूप में उपयोग किए जाने के लिए डेरिवेटिव में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य बुटानोल ड्रग के उत्पादन और प्राकृतिक पदार्थों, पॉलिश तथा क्लीनर में एडिटिव, वस्त्र उद्योग में सोल्यूबलाइजर, डीसिंग फ्लूड में एडिटिव, गैसोलीन में एटी-आइसिंग

एडिटिव, सेल्यूलोज नाइट्रेट के लिए ह्यूमिटेड, ग्लाइकोल ईथर के उत्पादन में फीडस्टॉक और फ्लोटेशन एड (बुटाइल जेन्थेट) में तथा बुटाइल मोनो कार्बोजाइलेट, बुटाइल एसिटेट, बुटाइल बुटाइटे के उत्पादन के लिए शुरूआती सामग्री के रूप में उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है।

- 9 इस उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष संख्या 29051300 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

ग.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

10. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया है :-

- चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा जो मूल जांच में है।
- घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

11. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. मूल जांच में और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद सामान्य बुटानोल (एन- बुटानोल) है। विगत जांच में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था और प्राधिकारी ने वर्तमान प्रयोजनों के लिए विचाराधीन उत्पाद के उसी दायरे पर विचार किया है :-

इस जांच में विचाराधीन उत्पाद सामान्य बुटानोल है। सामान्य बुटानोल एक 4 कार्बन सरंचना और मोलिक्यूलर फार्मूला C_4H_9OH के साथ एक प्राथमिक अल्कोहल है। सामान्य बुटानोल यूरिया, मेलामाइन अथवा फिनोलिक रेसिन से प्राप्त बेकिंग फिनिश और एसिड - क्योरेबल लेक्वर्स के लिए एक उत्कृष्ट सोल्वेंट है। सामान्य बुटानोल (एन- बुटानोल) का एक बड़ा हिस्सा कोटिंग उद्योगों और प्रिंटिंग इंक में सोल्वेंट के रूप में उपयोग किए जाने के लिए डेरिवेटिव में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य बुटानोल ड्रग के उत्पादन और प्राकृतिक पदार्थों, पॉलिश तथा क्लीनर में एडिटिव, वस्त्र उद्योग में सोल्यूबलाइजर, डीसिंग फ्लूड में एडिटिव, गैसोलीन में एटी-आइसिंग एडिटिव, सेल्यूलोज नाइट्रेट के लिए ह्यूमिटेड, ग्लाइकोल ईथर के उत्पादन में फीडस्टॉक और फ्लोटेशन एड (बुटाइल जेन्थेट) में तथा बुटाइल मोनो कार्बोजाइलेट, बुटाइल एसिटेट, बुटाइल बुटाइटे के उत्पादन के लिए शुरूआती सामग्री के रूप में उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है।

13. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं, भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे गुणों के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों को ही एक दूसरे के स्थान पर बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना जाएगा।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

14. पाटनरोधी नियमावली का 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है: -

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले “घरेलू उद्योग” शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।”

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है।
- ii. आवेदक ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा भारत में पाटित वस्तु के किसी आयातक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।
- iii. आवेदक नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- iv. इस अनुरोध पर कि एचपीसीएल भी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल है, अतः घरेलू उद्योग का यह अनुरोध है कि आवेदक की सूचना के अनुसार, एच पी सी एल जांच की अवधि तक संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

16. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-

- i. आवेदक ने एकमात्र उत्पादक होने का दावा किया है। तथापि, एचपीसीएल जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में शामिल है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

17. वर्तमान आवेदन मै० द आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स लि० द्वारा दाखिल किया गया है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से, यह नोट किया जाता है कि एच पी सी एल वर्तमान में संबद्ध वस्तु के उत्पादन अथवा बिक्री में शामिल नहीं है। आवेदक भारत में एकमात्र उत्पादक है और उसने निर्धारित प्रारूप में संगत सूचना प्रदान की है। आवेदक, नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग है। आवेदक नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा करता है।

ड. विविध अनुरोध**ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

18. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गए हैं :-

- क. सभी प्रतिभागी उत्पादकों और निर्यातकों ने अपने उत्तरों में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, क्योंकि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहे।
- ख. प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों के उत्तरों में पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है और कोई भी सार्थक सारांश प्रदान नहीं किया गया है।
- ग. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक दिनांक 7 सितम्बर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- घ. घरेलू उद्योग ने प्रत्येक ऐसी सूचना के लिए विस्तृत कारण प्रदान किए हैं, जिनके गोपनीय होने का दावा किया गया है और इसके प्रतिकूल प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों ने कारोबारी संवेदनशील सूचना को आधार बनाकर गोपनीय उसे होने का दावा किया है।
- ड. जिस स्रोत से संबद्ध देशों में क्षमताएं प्राप्त की गई हैं, उसका नाम आवेदन के फुटनोट में दिया गया है और ट्रेडमैप डेटा तथा यूरोस्टार डेटा अगोपनीय आवेदन का भाग है।
- च. प्राधिकारी द्वारा क्षति के निर्धारण के प्रयोजन के लिए विचार किए गए सभी आर्थिक मापदंड दिनांक 7 सितम्बर, 2018 की व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसरण में अगोपनीय पाठ में प्रदान किए गए हैं।

- छ. के एल जे रिसोर्सेज लिमिटेड, पायल पोलिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता हैं और इसीलिए उन्हें प्रयोक्ता प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने आवश्यक थे। तथापि, उन्होंने आयातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं।
- ज. पक्षकारों ने गलत प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अपेक्षित सूचना से उन पर शुल्क का असहनीय भार होने की उनकी राय के बारे में उनके लिए बहुत ही असहज स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि अपेक्षित संगत प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए बिना आयातकों द्वारा किए गए तर्कों को स्वीकार न करें।
- ञ. पाटनरोधी शुल्क आवश्यक है क्योंकि भारत में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार हो रहा है। बाजार में महत्वपूर्ण पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कोई भी उत्पादक जो क्षमताएं स्थापित करेगा, उसे बाजार में समस्या आएगी।
- ट. भारत में किए जा रहे विस्तार से भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।
- ठ. मांग और आपूर्ति अंतराल पाटन को स्पष्ट नहीं करता। निर्यातक देश में उत्पादक भारतीय उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- ड. केवल इस तथ्य के आधार पर कि आयात शुल्कों का भुगतान करने पर बाध्य हैं, पाटित आयातों से घरेलू बाजार को संरक्षण न देने के लिए यह कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है।
- ढ. मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर आयातित वस्तुएं बहुत ही कम मात्रा और अधिक कीमत के साथ प्राथमिक रूप से सैम्पल के रूप में भेजी गई वस्तुएं हैं, जिन पर क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए विचार करने का कोई कारण नहीं है।
- ण. घरेलू उद्योग यहां तक कि जब लागू शुल्क के रूप में संरक्षण दिया गया था तब भी कोई प्रीमियम फायदा नहीं ले रहा था। बाजार पर बाजार के सप्लायरों का प्रभाव है न कि वास्तविक उत्पादक का।
- त. मै० ओ क्यू केमिकल जी एम बी एच, जर्मनी ने मूल जांच में भाग लिया था लेकिन समीक्षा जांच में उत्तर देने में विफल रहा और इसीलिए उसे अप्रतिभागी माना जाएगा। साथ ही, प्राधिकारी को यूरोपीय संघ, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से सभी आयातों के लिए केवल एक ही अवशिष्ट श्रेणी की सिफारिश करनी चाहिए।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :-

- क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है क्योंकि उसने व्यापार सूचना का अनुपालन नहीं किया है और गोपनीयता के कारण प्रदान नहीं किए हैं।
- ख. संबद्ध देशों में क्षमता के संबंध में सूचना का स्रोत घरेलू उद्योग द्वारा प्रकट नहीं किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने यूरोस्टट और ट्रेडमैप डेटा को गोपनीय होने का दावा किया है।
- घ. क्षमता, मांग और घरेलू बिक्रियों जैसी सूचना पहले ही सार्वजनिक डोमेन में हैं, जबकि इस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है।
- ड. आयातकों को आयात करना है क्योंकि घरेलू उद्योग भारी मांग आपूर्ति अंतराल को पूरा करने में असमर्थ है और निर्यातक भारतीय क्रेताओं से सर्वाधिक कीमतें वसूली है। क्रेता शुल्क का भुगतान करने के लिए भी बाध्य है।
- च. निर्धारित पाटनरोधी शुल्क की बजाय, शुल्कों को 'सक्रिय कीमत' अथवा 'परिवर्तनीय' आधार पर लगाया जाना चाहिए। निर्धारित पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए अनुचित और मनमाना संरक्षण मिलेगा।

- छ. आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट संदिग्ध है क्योंकि वर्षों से वही भाग इस्तेमाल की जा रही है।
- ज. आवेदक का व्यापार उपचारी उपायों का दावा करने का इतिहास रहा है क्योंकि दोनों ही उत्पाद वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क आकर्षित कर रहे हैं।
- झ. शुल्कों का प्रयोजन पूरा हो गया है, क्योंकि घरेलू उद्योग के लिए तर्कसंगत लाभों की स्थिति आ गई है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क सामान्य नियम का एक अपवाद है और शुल्क केवल तभी जारी रह सकते हैं, जब संभावना का पूर्ण परीक्षण किए जाने के आधार पर एक विस्तारित संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा करना अति आवश्यक है।
- ञ. आवेदक ने मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट में पहुंची संबद्ध वस्तुओं के आयातों को बाहर करने अथवा इस आधार पर कि कीमतें असामान्य हैं, बाहर करने के लिए कोई औचित्य प्रदान नहीं किया है।
- ट. केसोराम रेयोन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2018 (359) ई एल टी 475 (डेल) मामले के अनुसार यह एक निपटारा गया मामला है कि कोई निर्णायक समीक्षा अनिवार्य रूप से शुल्क करना जरूरी नहीं है।
- ठ. ईस्टमैन ने जांच की अवधि के दौरान और क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है क्योंकि भारतीय बाजार में आवेदक और अन्य सप्लायरों द्वारा प्रस्तावित कीमतें गैर-लाभकारी हैं। यहां तक कि ईस्टमैन ने जांच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भी नहीं किया है, कंपनी वर्तमान जांच में भाग ले रही है क्योंकि वह आवेदक द्वारा सूचीबद्ध संबद्ध वस्तुओं की ज्ञात उत्पादक/निर्यातक है और इससे पाटनरोधी नियमावली के संदर्भ में वह एक हितबद्ध पक्षकार है।
- ड. चूंकि ईस्टमैन ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, यह समझ गया है कि प्राधिकारी शुल्क की व्यक्तिगत दर को निर्धारित नहीं कर सकते। तथापि, यह उल्लेखनीय है और प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणामों में यह दर्ज किया जाए कि ईस्टमैन ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और इसीलिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के संदर्भ में व्यक्तिगत शुल्क की दर का निर्धारण करने के लिए एक नई शिपर समीक्षा के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए पात्र है।
- ढ. आवेदक का इथाइल हेक्सानोल और सामान्य बुटानोल पर विगत तेइस वर्षों से व्यापार उपचारी उपाय का लाभ लेने का इतिहास रहा है। अतः यह समझ से परे है कि एक विदेशी उत्पादक और / अथवा निर्यातक भारत में इतने लंबे समय से वस्तुओं का निरंतर पाटन कर रहा है और निरंतर राजस्व की हानि हो रही है।
- ण. जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यह नोट किया जाता है कि कंपनी कुल उत्पादन का 98.5 प्रतिशत तक संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में सक्षम रही है। के एल जे आर केवल एक आयातक है और उसने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सही प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।
- त. भावी क्षमताओं के दावों की प्राधिकारी द्वारा मेलामाइन जैसे मामलों में अस्वीकार किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुसार जांच की गई थी और तदनुसार उन्हें शामिल किया गया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने करीबार संबंधी संवेदनशील सूचना से गोपनीय होने का दावा किया है।
21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी सभी सूचना का अगोपनीय पाठ प्रदान किया है, जो कि वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए संगत है।

22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर शुरू की गई थी। अतः यह दावा कि आवेदन कानून की अपेक्षा को पूरा नहीं करता, गलत है।
23. इस अनुरोध पर कि भारत में एक मांग और आपूर्ति का अंतराल है, जो कि आयातों में वृद्धि का कारण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के लिए आधार आयात के अनुसार नहीं है, बल्कि जिस कीमत पर आयात किए गए हैं और इसमें बिक्री कीमत, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल जैसे मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने से एक समान भागीदारी स्तर मिलता है और यह बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को नहीं रोकता।
24. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि शुल्कों का विस्तार होने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में भाग ले रहे प्रयोक्ताओं के अलावा अन्य प्रयोक्ताओं सहित प्रयोक्ताओं के लाभों और राजस्व के लाभों के संबंध में सूचना प्रदान की है। यह देखा गया है कि प्रयोक्ताओं के लाभों और राजस्व के लाभों के संबंध में वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ा है। हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध के समर्थन में और प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई गणना अथवा साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।
25. जहां तक शुल्क के रूप के संबंध में पक्षकारों का मत है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमों के तहत प्राधिकारी की अनिवार्यता कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने की है, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए सभी संगत तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद शुल्क के रूप को निर्धारित करते हैं।
26. जहां तक शुल्कों के विस्तार के संबंध में अनुरोध करने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा (क) और नियमावली के नियम 23 के तहत, ऐसी अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके लिए शुल्क लगाया जा सकता है। शुल्कों के विस्तार के लिए आवश्यक एकमात्र शर्त यह है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जितनी ऐसे पाटन अथवा पाटन की संभावना पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है जिसके कारण क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 सामान्य मूल्य

27. अधिनियम की धारा 9 (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है :
 - (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा
 - (ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार है :-

- क. उत्पादकों की कीमतें गोपनीय सूचना होती है और इसलिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है।
- ख. संबद्ध देशों से विभिन्न देशों को निर्यात की कीमतों में महत्वपूर्ण भिन्नता निर्यात कीमतों को, सामान्य मूल्य के निर्धारण के रूप में विचार करने के लिए अविश्वसनीय बनाती है।
- ग. संबद्ध देशों में उत्पादक वैश्विक बाजार में उत्पादन का पाटन कर रहे हैं और निर्यात विश्वसनीय नहीं है तथा ये सामान्य मूल्य का सही प्रदर्शन नहीं करते।
- घ. सामान्य मूल्य को उत्पादक की लागत के अनुदानों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।
- ड. सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका से पाटन के दावे चुनौतीरहित हैं क्योंकि इन देशों से कोई भी भागीदारी नहीं है।
- च. जब शुल्क लगाए जाते हैं तो निरंतर हो रहे पाटन स्वयं हैं। यह प्रमाणित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन होने की संभावना है।
- छ. प्रोपाइलीन और नेप्था, दोनों की कीमतों में जांच की अवधि में गिरावट आई है लेकिन पहुंच कीमत में तीव्र गिरावट आई है। विदेशी उत्पादक अपनी कीमतों को इनपुट कीमतों के अनुसार नहीं रखते और पाटन का सहारा लेते हैं।
- ज. व्यापार जर्नल पर विचार करने के अनुरोध पर, व्यापार जर्नलों में प्रकाशित की गई कीमतों पर सेस्टेट के निर्णय में प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी करने के प्रयोजन के लिए नियमावली के नियम 6 (8) के तहत व्यापार जर्नलों पर विचार करने के संबंध में स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। सेस्टेट का निर्णय सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए व्यापार जर्नल में कीमतों पर भरोसा करने के लिए घरेलू उद्योग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता।
- झ. तीसरे देशों के लिए निर्यात भी उत्पादन की लागत के अनुमानों से कम कीमत पर प्रतीत होते हैं और संबद्ध देशों में उत्पादक अथवा बाजारों में अपने उत्पादों का पाटन कर रहे हैं।
- ञ. निर्यात कीमत में दावा किए गए समायोजन अनुमानों के आधार पर हैं और प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार है।

च.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किए गए अनुरोध इस प्रकार है :-

- क. घरेलू उद्योग का मत यह है कि निर्यातकों को यह स्थापित करना चाहिए कि पाटन जारी रहने की कोई संभावना नहीं है, इसमें कोई मेरिट नहीं है।
- ख. यह नहीं कहा जा सकता कि संबद्ध देश अन्य देशों में तब तक पाटन कर रहे हैं, जब तक कि अन्य देशों में निर्यात कीमत की तुलना उस निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के साथ न की जाए।
- ग. घरेलू उद्योग ने कथित पाटन करने वाले निर्यातों पर ही भरोसा करके जीरोइंग का सहारा लिया है। ऐसी सोच ई सी-बेड लिनेन और यूएस-जिरोइंग (ई सी) मामले में पैनल के तहत डब्ल्यू टी ओ सिद्धांतों के प्रतिकूल है।
- घ. आवेदक ने निर्यात कीमत पर कटौती का दावा करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।
- ड. सचिव (राजस्व), भारत सरकार बनाम डाइस्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मामले में निर्णय के अनुसार, जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी सही ठहराया गया था, प्राधिकारी व्यापार जर्नलों में प्रकाशित कीमतों पर भरोसा नहीं कर सकते।

- च. निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम मै० हलदर टोप्सो के अनुसार, एक क्रमबद्ध तरीके से सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना है। यद्यपि संबद्ध देशों से निर्यात कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध है, लेकिन आवेदक ने अभी भी इस पर भरोसा नहीं किया है।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी डेटा को अलग करने के लिए प्रदान की गई पद्धति से मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट में संबद्ध वस्तुओं के आयातों को बाहर किया है, जो कतिपय आयात सौदों का वर्गीकरण करने का भी आधार है, क्योंकि असामान्य विचाराधीन उत्पाद अथवा असामान्य दर स्पष्ट नहीं की गई है।
- ज. भारतीय कीमतों और सामान्य कीमत से कम कीमत पर निर्यातों को दिखाने वाली तालिका से यह स्पष्ट नहीं है, कि किस अवधि के लिए ऐसे डेटा का उत्पादन किया गया है।
- झ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण उत्पादक पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एस डी एन बी एच डी. और निर्यातक पेट्रोनास केमिकल्स मार्केटिंग (लिबुआन) लि० द्वारा दाखिल किए गए निर्यातक प्रश्नावली उत्तरों के आधार पर किया जाना चाहिए।

च.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी है, जिसमें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया गया है। संबद्ध देशों से निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है:-
- क. मै० पेट्रोनास केमिकल्स मार्केटिंग (लिबुआन) लि०, मलेशिया एंड पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया
- ख. मै० बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया

च.4.1 यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

31. यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय, के लिए समायोजन करके 5 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।
32. निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया है। इसके अलावा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी मालभाड़ा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और कमीशन के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। इस प्रकार से यथा निर्धारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च.4.2 मलेशिया के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

i. बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया

33. बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया (बी पी सी) बी एस एफ एस ई, जर्मनी तथा सहायक कंपनी पेट्रोनास केमिकल ग्रुप (पी सी जी) के तहत पेट्रोलियम नेशनल बर्हाड (पेट्रोनास), मलेशिया के बीच एक मलेशिया आधारित संयुक्त उद्यम है।

सामान्य मूल्य

34. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एस डी एन. बीएचडी. (इसके बाद इसे “बी एस एफ / निर्यातक” के रूप में कहा गया है) संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है। निर्यातक ने भारतीय बाजार में अपनी संगत कंपनी अर्थात् बी ए एस एफ इंडिया लि० को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसने भी प्रश्नावली उत्तर दाखिल किया है।

35. यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने घरेलू बाजार में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं की है। निर्यातक ने अपनी उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी द्वारा यह नोट किया जाता है कि जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत। प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादन की लागत के डेटा और एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करते हैं और इसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

36. यह नोट किया जाता है कि बी ए एस एफ ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक और बी ए एस एफ इंडिया लि० के उत्तरों की पुष्टि की है। बी ए एस एफ, मलेशिया ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, स्वदेशी परिवहन ऋण लागत, बैंक प्रभारों के संबद्ध में समायोजन का दावा किया है और इसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है।
37. उत्तर से यह नोट किया गया है कि उत्पादक/ निर्यातक ने अपनी संगत संख्या मै० बी ए एस एफ इंडिया के जरिए भारत में कस्टमर्सइन इंडिया को *** मी. टन निर्यात किया है। संगत आयातक द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर से यह देखा गया है कि आयातक द्वारा की गई बिक्री में हानियां दर्शाई गई हैं और इसीलिए प्राधिकारी ने कारखाना बाह्य कीमत निकालने के लिए संगत कंपनी द्वारा किए गए एस जी ए व्यय के संबंध में उपयुक्त समायोजन किया है। तदनुरोध कारखाना बाह्य निर्यात कीमत की गणना की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

ii. पेट्रोनास केमिकल्स मार्केटिंग (लिबुआन) लि० एंड पेट्रोनास केमिकल्स डेरीवेटिव्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया

38. पेट्रोनास केमिकल्स मार्केटिंग (लिबुआन) लि० और पेट्रोनास केमिकल्स डेरीवेटिव्स एस डी एन. बी एच डी., मलेशिया द्वारा एक संयुक्त उत्तर दाखिल किया गया है। जांच की अवधि के दौरान पी सी डी मलेशिया में उत्पादक है और पी सी एम एल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए सभी कच्ची सामग्री की खरीद करने और पी सी डी के साथ टोल व्यवस्था के तहत विचाराधीन उत्पाद का निर्माण कराने में शामिल है। अंत में पी सी एम एल घरेलू और निर्यात बाजारों में निर्मित किए गए विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करता है। पहले पी सी डी सभी कच्ची सामग्रियां खरीद रहा था और स्वयं विचाराधीन उत्पाद का निर्माण कर रहा था। अतः यह विचाराधीन उत्पाद का पूर्ण रूप से निर्माता था। निर्माण करने के बाद, यह विचाराधीन उत्पाद की सीधे बिक्री करता है। पेट्रोनास केमिकल्स मार्केटिंग एस डी एन. बीएचडी. (पी सी एम एस बी) नामक अपनी एक संगत संख्या के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू और निर्यात बाजारों में बिक्री करता था। अप्रैल, 2018 से पी सी एम एल कच्ची सामग्रियों की खरीद करके एक टोलिंग शुल्क का भुगतान करके एक टोलिंग व्यवस्था के आधार पर संगत सहायक कंपनी से अपने उत्पाद का निर्माण कराता है।

सामान्य मूल्य

39. जांच की अवधि के दौरान पी सी एम एल ने संगत और असंगत पक्षों को घरेलू बाजार में *** मी. टन संबद्ध वस्तुएं *** यू एस डॉलर कीमत पर बेची हैं। घरेलू बिक्रियां भारत को निर्यातों की तुलना में पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ लाभ कमाने वाली घरेलू बिक्रियों के सौदों के निर्धारण के लिए सामान्य व्यापार जांच करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि लाभ अर्जित करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदे सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किए जा रहे हैं और यदि लाभ अर्जित करने वाले सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, तो केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियां ही सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए शामिल की जा रही हैं। तदनुसार, पी सी डी के लिए पूर्व कारखाने के स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और उसी को नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

निर्यात कीमत

40. यह नोट किया जाता है कि पी सी एम एल ने जांच की अवधि के दौरान भारत को *** मी. टन पी सी डी द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। कारखाना बाह्य निर्यात कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा किए गए व्यय पर विचार किया है। तदनुसार, बैंक प्रभारों, समुद्री मालभाड़ा, बंदरगाह और संगत व्यय तथा ऋण लागत के संगत में समायोजन इनवायस कीमत से किया गया है। तदनुसार, कारखाना बाह्य कीमत की गणना की गई है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

iii. अन्य उत्पादक

41. मलेशिया के सभी अन्य सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को सहयोगी उत्पादक द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर विचार करके उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च.4.3 सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

42. सिंगापुर से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। प्राधिकारी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय का समायोजन करके और 5 प्रतिशत की दर से तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।
43. उपलब्ध तथ्य के आधार पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। इसके अलावा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी मालभाड़ा, बैंक प्रभार बंदरगाह व्यय और कमीशन को उपलब्ध तथ्य के आधार पर समायोजित किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

च.4.4 साउथ अफ्रीका के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

44. साउथ अफ्रीका से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है। तदनुसार, नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। प्राधिकारी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ 5 प्रतिशत की दर से एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर समायोजन करते हुए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।
45. निर्यात कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। इसके अलावा, समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी माल भाड़ा, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय और कमीशन को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शामिल करने कीमत का समायोजन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई कारखाना बाह्य कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

च.4.5 संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

46. ईस्टमैन केमिकल कंपनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माता ने केवल क्षति प्रस्तुत की, हालांकि, निर्यातकों की प्रश्नावली की प्रतिक्रिया दायर नहीं की गई क्योंकि उसने पीओआई और क्षति की अवधि के दौरान विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। ईस्टमैन केमिकल कंपनी को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ 5 प्रतिशत की दर से एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को जोड़कर समायोजन करते हुए संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए लागत अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

47. निर्यात कीमत निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदान की गई सूचना पर विचार किया गया है। इसके अलावा, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, स्वदेशी मालभाड़ा, बैंक प्रभार और कमीशन के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित की गई कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

च.4.6 पाटन मार्जिन गणना

48. वर्तमान जांच में सभी संबद्ध देशों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य, कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन इस प्रकार है :-

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य (यूएसडी/ मी. टन)	निर्यात कीमत (यूएसडी/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/ मी. टन)	पाटन मार्जिन - %	पाटन मार्जिन - रेंज
1	यूरोपीय संघ	***	***	***	***	20-30
2	मलेशिया					
क	मै० बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी.,	***	***	***	***	0-10
ख	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन. बीएचडी.,	***	***	***	***	30-40
ग	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
4	साउथ अफ्रीका	***	***	***	***	30-40
5	सिंगापुर	***	***	***	***	10-20
6	संयुक्त राज्य अमेरिका	***	***	***	***	30-40

49. यह देखा गया है कि मलेशिया ने दोनों सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है। इसके अलावा, अन्य संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।

छ. क्षति के निर्धारण के लिए प्रणाली और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

50. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम-11 के तहत यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को क्षति को दर्शाते हैं – “समान वस्तुओं के लिए पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभावों सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.....”, पाटित आयातों के कीमतों पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का पर्याप्त मात्रा में दमन करने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में होती।
51. नियमावली को नियम 23 के तहत यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 एक समीक्षा के मामले में यथोचित परिवर्तन के बाद लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति मापदंडों का मूल्यांकन किया है, जो कि नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के तहत अपेक्षित है और यह भी जांच की है कि क्या शुल्कों के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

52. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए अनुरोध यहां नीचे दिए गए हैं :-

- क. उत्पादन के संबंध में आयातों में 2018-19 तक गिरावट आई है और जांच की प्रस्तावित अवधि में तीव्र वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध देशों से खपत और कुल आयातों के संदर्भ में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है।
- घ. यूरोपीय संघ से आयात केवल मई, 2019 में हुए हैं और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ उस माह को आयातों की कीमत की तुलना यह दर्शाएगी कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- ङ. घरेलू उद्योग आयात कीमतों के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और आयातों के कारण कीमतों में गिरावट आई है।
- च. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में 2018-19 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई, जबकि संबद्ध देशों से आयातों में निरंतर वृद्धि हुई है।
- छ. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में 2018-19 तक सुधार आया क्योंकि आयातों के पहुंच मूल्य में वृद्धि हुई थी।
- ज. घरेलू उद्योग के लाभ में 2018-19 तक वृद्धि हुई, जब यह पाटन के बुरे प्रभाव से उबर रहा था।
- झ. नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल पर भी जांच की अवधि में प्रभाव पड़ा है।
- ञ. घरेलू उद्योग की इन्वेंट्री में 2018-19 तक कमी आई लेकिन उसके बाद में जांच की अवधि में वृद्धि हुई।
- ट. घरेलू उद्योग ने विगत वर्ष तक मानदंडों में सकारात्मक विकास का संकेत दिया लेकिन जांच की अवधि में मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों में विकास में नकारात्मकता आई।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से क्षमता विस्तार की भावी योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, बावजूद इसके कि देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए भारी मांग के कारण इसकी क्षमता में वृद्धि होने का अवसर है।
- ड. आयातों की पहुंच कीमत में जांच की अवधि में पर्याप्त गिरावट आई है और यह बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से काफी कम है। यह गिरावट कच्ची सामग्रियों की लागतों में गिरावट से काफी अधिक है।
- ढ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में गिरावट कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता में कमी के कारण हो सकती है लेकिन लाभों, नकदी लाभों और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट मुख्य रूप से कीमत में गिरावट के कारण से है, जो कि लागत में गिरावट से काफी अधिक है।
- ण. कच्ची सामग्री की कमी के संबंध में कम उत्पादन का तथ्य प्रश्नावली के प्रश्न 15 से और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से स्पष्ट है। दोनों ही आवेदन के साथ दाखिल की गई थी।
- त. केवल यह कारण कि क्यों क्षमता का विस्तार न हो सका, विगत 10 वर्षों के दौरान अर्जित अपर्याप्त लाभों के कारण है, क्योंकि आयात की कीमतें निरंतर बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से कम रही हैं।
- थ. घरेलू उद्योग की कीमतें आयात की कीमतें और कच्ची सामग्री की कीमतों से निर्धारित होते हैं। वर्ष 2018-19 में आयात की कीमतों में वृद्धि और मात्रा में गिरावट होने के साथ ही घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में ईष्टतम स्तर तक वृद्धि करने के लिए समर्थ था।

- द. वर्ष 2018-19 ऐसी अवधि रही है, जहां घरेलू बाजार में पाटित आयातों का प्रभाव नगण्य था और उसी अवधि का उपयोग घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाएगा।
- ध. क्षति विश्लेषण के लिए कम कीमत के आयातों पर विचार करने के लिए दावा की गई प्रणाली भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और डब्ल्यू टी ओ द्वारा यूरोपीय समुदाय – ब्राजील से मेलेबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग से संबंधित मामले में अनुमोदित की गई थी।
- न. घरेलू उद्योग केवल कम कीमत के आयातों से क्षति का दावा कर रहा है। ऐसे देशों से महत्वपूर्ण निर्यात हो रहे हैं, जो कि उचित बिक्री कीमत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से नीचे की कीमत के हैं।

क्र. सं.	विवरण	एन एस आर से नीचे आयात (एम टी)	कुल आयात (एम टी)	एनएसआर से नीचे के आयातों का अंश
1.	यूरोपीय संघ	3,000	3,000	100%
2.	मलेशिया	8,235	8,235	100%
3.	सिंगापुर	8,986	8,986	100%
4.	साउथ अफ्रीका	10,362	13,431	77%
5.	यू एस ए	12,560	12,593	100%

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस डेटा

- प. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक कच्ची सामग्री (अर्थात् प्रोपाइलेन) आसानी से परिवहन नहीं की जा सकती और इसीलिए अगले संयंत्र से लेनी पड़ती है। घरेलू उद्योग हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० (एच पी सी एल) (भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) पर प्रोपाइलेन प्राप्त करने के लिए निर्भर है। इसे देखते हुए, क्षति की मात्रा का घरेलू उद्योग द्वारा दावा नहीं किया गया है।
- फ. क्षति विश्लेषण से वर्ष 2018-19 को निकालने का कोई कारण नहीं है। इसकी बजाय 2018-19 ऐसी अवधि रही है, जब घरेलू बाजार में पाटित आयातों का प्रभाव नगण्य था और उसी अवधि को घरेलू उद्योग के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। वास्तव में यह आश्चर्यजनक है कि विदेशी उत्पादक अब यह तर्क दे रहे हैं कि उनकी कीमतें असामान्य थीं। यदि विदेशी उत्पादक यह जानते थे कि यह असामान्य कीमत है तो उन्होंने उस कीमत को क्यों नहीं लिया ?
- ब. प्रोपाइलेन की आपूर्ति अधिकांशतः पाइपलाइन से होती है। यही कारण है कि प्रायः वैश्विक रूप से सभी उत्पादकों के अल्कोहल संयंत्रों के समीप प्रोपाइलेन के सप्लायर हैं। यद्यपि उत्पाद को अन्य तरीकों से भी परिवहन किया जा सकता है, लेकिन परिवहन की लागत ही अधिक होती है, जिससे यह घरेलू उद्योग के लिए महंगा हो जाता है। एच पी सी एल प्रोपाइलेन कीमतें अधिकांशतः एल पी जी अंतर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर होती है और कुछ हद तक कूड ऑयल कीमत पर होती है।
- भ. कच्ची सामग्री की कीमतों में भारी गिरावट होने की स्थिति में शुल्क लगाए जाएंगे जो अपाटित आयातों पर भी होंगे। इसी प्रकार, यदि कच्ची सामग्री की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक बिना शुल्क का भुगतान किए पाटन करने में समर्थ होंगे। इससे प्रेरित कीमत पर शुल्क लगाने के मामले में भी घरेलू उद्योग और प्रयोक्ताओं, दोनों के प्रयोजन पूरे नहीं होंगे। यद्यपि उत्पाद को अन्य तरीकों से परिवहन किया जा सकता है लेकिन परिवहन की लागत बहुत ही अधिक होगी, जिससे घरेलू उद्योग के लिए यह काफी महंगा होगा।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध यहां नीचे पुनः दोहराए गए हैं:-

- क. घरेलू उद्योग का संयंत्र चौथी तिमाही में बंद हो गया था और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आयात जरूरी थे।
- ख. पूर्ण क्षति अवधि के दौरान ऋणात्मक कीमत कटौती हुई, जो दर्शाता है कि आयातों द्वारा कोई विपरीत कीमत प्रभाव नहीं हुआ था।
- ग. घरेलू उद्योग ने सभी प्रमुख पैरामीटरों जैसे लाभ, नकद लाभ, आरओसीई, आदि में संपूर्ण संतुलित निष्पादन दर्ज किया है।
- घ. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के कारण कीमत ह्रास या कीमत में कमी का सामना नहीं कर रहा है। प्रति यूनिट पीवीआईटी में वृद्धि की सकारात्मक और उच्च दर दर्शाती है कि बिक्री कीमत बिक्रियों की लागत से काफी अधिक है।
- ङ. संबद्ध वस्तुओं की कीमत में गिरावट वैश्विक बाजार में नेप्था और प्रोपेलीन की कीमत में गिरावट के कारण है। आवेदक पर आयातों की वैश्विक कीमत में गिरावट के कारण अपनी कीमतों को घटाने का दबाव था।
- च. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री की कमी से संबंधित सूचना को छिपाया है जिसने उत्पादन को प्रभावित किया था।
- छ. यूएसए से आयात केवल जांच की अवधि में छह महीनों में किए गए थे और क्षति विश्लेषण केवल मासिक या तिमाही आधार पर किया जाएगा।
- ज. मलेशिया से आयातों को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें लगातार गिरावट आई है और उनकी कीमतें भी उल्लेखनीय रूप से उच्च हैं।
- झ. देश में मांग के बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाया है।
- ञ. घरेलू उद्योग का निष्पादन केवल कच्ची सामग्री की आपूर्ति पर निर्धारित है न कि पाटनरोधी शुल्कों की विद्यमानता या निरस्त होने पर।
- ट. 2018-19 की दूसरी तिमाही में कच्ची सामग्री की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आई और तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में संबद्ध वस्तुओं की सीमित आपूर्ति के कारण संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। इसलिए, 2018-19 के लिए डाटा को उपेक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वे क्षेत्र से बाहर हैं। जांच की अवधि सहित सिर्फ वर्ष 2018-19 का विश्लेषण सही स्थिति को प्रस्तुत नहीं करता।
- ठ. उत्पाद का निष्पादन क्षति नहीं दर्शाता क्योंकि मांग बढ़ी है और बीपीसीएल द्वारा एक एक्यो-अल्कोहल संयंत्र आरंभ करने के साथ भारतीय बाजार की समग्र संभाव्यता सकारात्मक है।
- ड. कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग का उत्पादन 7 महीनों के लिए बंद था।
- ढ. आरंभ के वर्षों में घरेलू उद्योग ने अत्यधिक असामान्य लाभ प्राप्त किया और केवल जांच की अवधि में लाभ सामान्य रहे हैं।
- ण. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत की प्रवृत्ति वास्तव में समान है और पहुंच कीमत का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर कोई प्रभाव नहीं है।
- त. जांच की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में वृद्धि शुद्ध रूप से देश में भारी मांग-आपूर्ति अंतर के कारण थी।
- थ. वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों के अवलोकन पर, अगोपनीय आवेदन में उत्पादन और क्षमता उपयोग पर प्रस्तुत आंकड़े गलत और भ्रामक हैं।

- द. घरेलू उद्योग अपना अधिकतर उत्पादन विक्रय करने में सक्षम है और इसलिए वे अपना उत्पादन बेचने में किसी कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं।
- ध. नियम 11 निर्णायक पुनरीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है। इसलिए, कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को स्थापित करना अनिवार्य है।
- न. घरेलू उद्योग की क्षति प्राकृतिक गैस के स्थान पर नेप्था के प्रयोग, संयंत्र के बंद होने और नेप्था की उच्च कीमतों के कारण, इसके संयंत्र में पश्चगामी एकीकरण (बैकवर्ड इंटीग्रेशन) के अभाव और अन्तर्निहित लागत लाभ के कारण है।
- प. प्राधिकारी को विभिन्न अन्य मुद्दों की स्थिति की जांच करनी चाहिए जिनका पहले घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव रहा है, जैसे ऊंची कीमतों पर कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति और कीमत निर्धारण व असंबद्ध देशों से बढ़े हुए आयात।
- फ. घरेलू उद्योग ने प्रोपेलीन कीमत निर्धारण और अपने कीमत निर्धारण में प्राप्त होने वाली छूट का उल्लेख नहीं किया है। कच्ची सामग्री की आपूर्ति परस्पर विरोधी है और ऐसी कीमतों पर हैं जो कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा से नहीं जुड़ी हैं।
- ब. घरेलू उद्योग कच्ची सामग्री के लिए एचपीसीएल पर अत्यधिक निर्भर है जबकि भारत में प्रोपेलीन के अन्य उत्पादक भी हैं। इसने जानबूझ कर कच्ची सामग्री का स्रोत नहीं बताया है और यह दावा कि प्रोपेलीन को “आसानी से परिवहन” नहीं किया जा सकता, गलत है।
- भ. मालसूची की माह-वार जांच की जानी चाहिए क्योंकि संबद्ध वस्तु एक द्रवीय उत्पाद है और क्योंकि ऐसी माल सूची का निम्न स्तरों पर प्रबंध किया जाता है, किंतु अटकलों को समाप्त करने के लिए अंतरिम रूप से टैंकों में भरा जा सकता है।
- म. इसलिए, या तो एक निश्चित कोटा लागू किया जाना चाहिए या वैकल्पिक रूप से क्षति के मार्जिन पर शुल्क लगाया जाना चाहिए अर्थात् पहुंच कीमत और एनआईपी के बीच अंतर पर।
- य. मै. पैट्रोनस केमिकल्स डेरीवेटिव्स एसडीएन बीएचडी और मै. पैट्रोनस केमिकल्स मार्केटिंग (लेबुआन) लि. ने उत्पाद की मांग के आधार पर मालसूची का न्यूनतम स्तर अनुरक्षित किया है। पीओआई पश्चात की अवधि में (अप्रैल 2020 – सितंबर, 2020) में, उन्होंने भारत को पीयूसी की कोई मात्रा निर्यात नहीं की है।
- कक. घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति विशुद्ध रूप से उनकी स्वयं की अकुशलता, प्रबंधकीय निर्णय तथा संबद्ध देशों द्वारा कथित पाटन के अलावा अन्य कारणों के कारण भी है।
- खख. “नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता” पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि ऐसे सभी पैरामीटरों में क्षति जांच की अवधि में लगातार सुधार देखा गया है। मजदूरियों और वेतन में इस वृद्धि को घरेलू उद्योग द्वारा अस्पष्ट रखा गया है।
- गग. पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली की शर्तों में, शुल्कों को लागू करने या उन्हें जारी रखने की जरूरत का आकलन करते समय कीमत क्षति स्वयं में कोई निर्धारक कारक नहीं है। यह एक एकीकृत तथ्य है कि घरेलू उद्योग किसी भारी क्षति का सामना नहीं कर रहा है।
- घघ. पाटन के दो संघटक हैं अर्थात् सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत। यह नहीं कहा जा सकता कि संबद्ध देश अन्य देशों में पाटन कर रहे हैं जब तक कि अन्य देशों में निर्यात कीमत की उक्त निर्यातक देश में परिकलित सामान्य मूल्य से तुलना न की जाए। यह दोहराया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है।
- ड.ड. सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 ने असामान्य निष्पादन संकेतक दर्शाए हैं। अतः तत्कालीन जांच में उचित तुलना के लिए यह शामिल न किए जाने के लिए उत्तरदायी है।
- चच. भारत में क्षमताओं में प्रस्तावित परिवर्धन उद्योग के स्वस्थ दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेतक है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को ध्यान में रखा है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में दोनों (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, की उद्देश्यपरक जांच की व्यवस्था की गई है। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के संभावित पहलुओं की जांच आरंभ करने से पहले घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।
55. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द न किया गया हो, ऐसे लागू किए जाने की तारीख से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू होना बंद कर देगा, बशर्ते कि पुनरीक्षा के पश्चात समय समय पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे शुल्क के समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है, तो वह और अधिक पांच वर्षों की अवधि के लिए इसे बढ़ा सकती है और ऐसी बढ़ाई गई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होगी।
56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि क्षति के सभी पैरामीटर ह्रास दर्शाएं। कुछ मापदंड ह्रास दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं। प्राधिकारी ने सभी क्षति पैरामीटरों पर विचार किया है और इसलिए, इस संबंध में निष्कर्ष दिया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए तो क्या घरेलू उद्योग क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर उद्देश्यपरक रूप से विचार करते हुए क्षति पैरामीटरों की जांच की है।
57. जहां तक इस निवेदन का संबंध है कि घरेलू उद्योग की कीमतें उच्च हैं क्योंकि इसका संयंत्र पश्चगामी रूप से (बैकवर्ड) एकीकृत नहीं है और यह अपनी कच्ची सामग्री के लिए एक मात्र आपूर्तिकर्ता पर निर्भर है, यह नोट किया गया कि यह प्राधिकारी का अच्छी तरह संस्थापित मत है कि घरेलू उद्योग को इस प्रकार देखा जाना चाहिए कि यह विद्यमान है और आदर्श स्थितियों में प्रचालन नहीं कर रहा है (निप्पोन जियोन कं. लिमि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 1997 (96) ईएलटी 126(टीआरआई))।
58. इस निवेदन के संबंध में कि, इसकी कीमतों में गिरावट वैश्विक बाजार आपूर्ति में परिवर्तन के कारण है, यह देखा गया है कि जांच की अवधि में आयात कीमत में गिरावट, कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट से अधिक है।
59. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रयोज्य कानूनों पर विचार करते हुए इसका विश्लेषण किया है। तत्काल पूर्ववर्ती पैरों में प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का उल्लेख करता है।

च.3.1 मांग का आकलन

60. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ के रूप में निर्धारित किया है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	संबद्ध देशों से आयात	एमटी	28,184	33,521	35,377	46,245
2	अन्य देशों से आयात	एमटी	27,541	20,034	13,403	12,379
3	आवेदक की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	163	191	142
4	कुल मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	105	111

61. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग 2017-18 में बढ़ी थी, 2018-19 में मामूली रूप से गिरावट आई थी और जांच की अवधि में इसमें दोबारा वृद्धि हुई थी। क्षति अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ी है।

च.3.2 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

i. संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा

62. संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	संबद्ध देश	एमटी	28,184	33,521	35,377	46,245
क	यूरोपीय संघ	एमटी	1,000	2,271	2,026	3,000
ख	मलेशिया	एमटी	17,259	13,516	12,957	8,235
ग	सिंगापुर	एमटी	2,951	9,971	11,954	8,986
घ	साउथ अफ्रीका	एमटी	6,901	7,677	7,875	13,431
ड.	यूएसए	एमटी	73	87	565	12,593
2	अन्य देश	एमटी	27,541	20,034	13,403	12,379
3	जोड़	एमटी	55,726	53,555	48,780	58,625
4	के संबंध में संबद्ध देशों से आयात -					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	72	125
ख	मांग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	119	147
ग	कुल आयात	%	51%	63%	72%	79%

63. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा कुल रूप से क्षति अवधि में लगातार बढ़ी है। जहां संबद्ध देशों से आयात लगातार बढ़े हैं, बाकी विश्व से आयातों में लगातार गिरावट आई है। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात कुल रूप में साथ ही उत्पादन, खपत और कुल आयातों के संबंध में बढ़े हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मुख्य कच्ची सामग्री की कम आपूर्ति के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन में कटौती की गई थी।

च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

64. नियमावली के अनुबंध-II (ii) की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा कीमत कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, की शर्तों में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

क. कीमत कटौती

65. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में कमी करता या कीमत में वृद्धि को रोकता, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हुआ होता। इस संबंध में संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुंच मूल्य तथा बाजार के समान स्तर पर सभी छूटों और करों को घटा कर, घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखानागत स्तर पर निर्धारित की गई थीं।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	निवल बिक्री आय	₹/एमटी	***	***	***	***
2	समग्र रूप में संबद्ध देश					
क	पहुंच कीमत	₹/एमटी	48,530	59,746	73,795	59,146
ख	कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
3	यूरोपीय संघ					
क	पहुंच कीमत	₹/एमटी	52,585	66,853	75,988	64,593
ख	कीमत कटौती	₹/एमटी	(***)	(***)	(***)	(***)
ग	कीमत कटौती	%	(***)	(***)	(***)	(***)
घ	कीमत कटौती	रेंज	(0-10) %	(0-10) %	(0-10) %	(0-10) %
4	मलेशिया					
क	पहुंच कीमत	₹/एमटी	48,087	59,651	72,748	59,040
ख	कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
5	सिंगापुर					
क	पहुंच कीमत	₹/एमटी	50,325	57,328	74,190	59,295
ख	कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
6	साउथ अफ्रीका					
क	पहुंच कीमत	₹/एमटी	47,190	59,610	74,067	59,188
ख	कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***	***
ग	कीमत कटौती	%	***	***	***	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
7	यूएसए					
क	पहुंच कीमत	₹/एमटी	1,51,368	1,78,169	77,778	57,764
ख	कीमत कटौती	₹/एमटी	(***)	(***)	(***)	***
ग	कीमत कटौती	%	(***)	(***)	(***)	***
घ	कीमत कटौती	रेंज	(60-70) %	(60-70) %	(0-10) %	10-20%

66. यह देखा गया है कि समग्र रूप से सभी संबद्ध देशों के संबंध में कीमत कटौती सकारात्मक है और पृथक रूप से यूरोपीय संघ के मामले में यह मामूली रूप से नकारात्मक है और बाकी संबद्ध देशों के लिए यह सकारात्मक है।

ख. कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव महत्वपूर्ण सीमा तक कीमतों में ह्रास करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की है और इसकी आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	115	113
2	बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	147	127
3	पहुंच कीमत	₹/एमटी	48,530	59,746	73,795	59,146
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	152	122

68. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत 2018-19 तक बढ़ी हैं और आयातों की पहुंच कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि की मात्रा घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि की तुलना में उच्च थीं। तथापि, जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत में गिरावट की तुलना में बहुत अधिक है। अतः यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को आयात कीमत के अनुसरण में रख रहा है और संबद्ध देशों से आयातों ने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण ह्रास किया है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

69. प्राधिकारी ने आगे पीओआई के दौरान आयातों की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) और पहुंच मूल्य की जांच की है।

क्र.सं.	देश	एनआईपी	पहुंच मूल्य	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर पर बिक्री	कम कीमत पर पर बिक्री
		₹/एमटी	₹/एमटी	₹/एमटी	%	रेंज
1	यूरोपीय संघ	***	64,593	***	***	0-10
2	मलेशिया	***	59,040	***	***	10-20
3	सिंगापुर	***	59,295	***	***	10-20
4	साउथ अफ्रीका	***	59,188	***	***	10-20
5	यूएसए	***	57,764	***	***	10-20

70. यह देखा गया है कि सभी संबद्ध देशों के मामले में कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

च.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटरों पर प्रभाव

71. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अंतर्गत यह जरूरी है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच शामिल हो। पाटनरोधी नियमावली में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारणों और संकेतकों की उद्देश्यपरक मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें बिक्रियों,

लाभ आउटपुट, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारण, वास्तविक पाटन के मार्जिन की मात्रा और नकदी प्रवाह, मालसूचियां, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों पर यहां नीचे विचार किया गया है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

72. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	101
2	उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	174	131
3	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	172	130
4	घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	163	191	142

73. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई है किंतु जांच की अवधि में गिरावट आई है।

ख. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने निष्क्रिय क्षमताओं के साथ प्रचालन किया है।

ख. उद्योग का बाजार हिस्सा मांग में है।

74. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	152	182	128
2	संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	119	147
3	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	46	40

75. यह देखा गया है कि 2018-19 तक घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई थी किंतु जांच की अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में क्षति अवधि में लगातार गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट प्रमुख कच्ची सामग्री के कारण निम्न उत्पादन के कारण भी है।

ग. मालसूचियां

76. घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	24	43

77. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची स्तर में 2017-18 में मामूली वृद्धि हुई, 2018-19 में गिरावट आई और जांच की अवधि में वृद्धि हुई।

घ. लाभ या हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

78. लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	बिक्रियों की लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	115	113
2	बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	147	127
3	लाभ/हानि(पीबीटी)	₹/एमटी	(***)	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	157	288	56
4	लाभ/हानि(पीबीटी)	₹ लाख	(***)	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	256	550	80
5	नकद लाभ	लाख रु.	(***)	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	900	1,750	530
6	ब्याज एवं कर पूर्व लाभ(पीबीडीआईटी)	लाख रु.	(***)	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	741	1,394	202
7	मूल्य ह्रास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीआईटी)	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	1,785	3,135	929
8	नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	645	1,084	173

79. प्राधिकारी ने क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की जांच की है। यह देखा गया है कि:

- क. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग हानि में था और तत्पश्चात इसकी लाभप्रदता में वृद्धि हुई। 2018-19 तक लाभों में वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में लाभों में गिरावट आई है।
- ख. जबकि पहुंच कीमतें आधार वर्ष में बिक्रियों की लागत से नीचे थीं, तदनुरूपी दो वर्षों में ये उच्च थीं। जांच की अवधि में, आयातों की पहुंच कीमत बिक्रियों की लागत से दुबारा नीचे थी। आवेदक ने दावा किया है कि चूंकि, घरेलू उद्योग आयात कीमत की तुलना में अपने उत्पाद का कीमत निर्धारण कर रहा है, 2016-17 में यह वित्तीय हानियों का सामना कर रहा था और अर्जन के लिए सक्षम था तथा तत्पश्चात् इसने

लागतों में वृद्धि के पश्चात् आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि के पश्चात् 2017-18 और 2018-19 में अपने लाभों में सुधार किया। तथापि, बिक्रियों की लागत में गिरावट के परे जांच की अवधि में आयात कीमत में महत्वपूर्ण गिरावट के कारण जांच की अवधि में लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट हुई।

- ग. नकदी प्रवाह ने भी लाभों के समान ही प्रवृत्ति दर्शायी है। घरेलू उद्योग आधार वर्ष में नकद हानियों में था किंतु तत्पश्चात् इसके नकद लाभों में गिरावट आई। नकद लाभों में 2018-19 तक वृद्धि हुई और जांच की अवधि में इसमें तीव्र गिरावट आई।
- घ. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग के पास नकारात्मक आरओआई थी। उसके पश्चात् 2018-19 तक इसमें सुधार आया।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के लाभों में 2018-19 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत वही पैटर्न दर्शाती है जैसाकि आयातों के संबंध में देखा गया है। आयात कीमत में बिक्रियों की कीमत में वृद्धि के परे, 2017-18 और 2018-19 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। यह भी देखा गया है कि 2018-19 और 2017-18 की तुलना में जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभों में तीव्र गिरावट आई है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

80. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	113	113
2	वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	122	270
3	उत्पादकता दैनिक	एमटी/दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	174	131
4	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	133	153	116

81. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार स्तरों और मजदूरियों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पिछले वर्ष तक वृद्धि हुई थी किन्तु जांच की अवधि में गिरावट आई।

च. वृद्धि

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि पैरामीटरों की जांच नीचे दर्शायी गई है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2017-18	2018-19	पीओआई
1	उत्पादन	वाई/वाई	39%	25%	-24%
2	घरेलू बिक्रियां	वाई/वाई	63%	17%	-26%
3	लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	वाई/वाई	257%	83%	-80%
4	मालसूची	वाई/वाई	3%	-77%	77%
5	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	52%	20%	-30%
6	लाभ/(हानि) लाख रु. में	वाई/वाई	356%	115%	-85%
7	नकद लाभ लाख रु. में	वाई/वाई	1000%	94%	-70%
8	पीबीआईटी लाख रु. में	वाई/वाई	841%	88%	-86%
9	आरओआई%	वाई/वाई	745%	68%	-84%

83. यह देखा गया है कि जहां 2017-18 और 2018-19 में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक थी, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- छ. पाटन की मात्रा**
84. यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- ज. नए निवेश को जुटाने की क्षमता**
85. आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पहले पाटित आयातों द्वारा प्रभावित हुई है और विभिन्न उत्पादकों द्वारा देश में किए जा रहे महत्वपूर्ण पूंजी निवेशों पर विचार करते हुए, पाटित आयातों के विरुद्ध सुरक्षा अनिवार्य है।
- झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**
86. यह देखा गया है कि पाटित आयातों की मात्रा महत्वपूर्ण है जो घरेलू उद्योग को इसकी कीमतें बढ़ाने से रोक रही हैं।
- ञ. क्षति संबंधी अवलोकन**
87. उल्लेखनीय क्षति से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों पर विचार करते हुए, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के संपूर्ण निष्पादन में 2018-19 तक महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और जांच की अवधि में ह्रास हुआ है। संबद्ध आयातों की मात्रा कुल रूप में और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। क्षति अवधि में घरेलू उद्योग निष्क्रिय क्षमता के साथ प्रचालन कर रहा था। तथापि, जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग ने एचपीसीएल से कुछ कच्ची सामग्री आपूर्ति संबंधी बाध्यताओं का सामना किया, जिस कारण उत्पादन में कटौती हुई। इसलिए, प्राधिकारी का विचार है कि पीओआई में उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों और बाजार हिस्से में ह्रास पूरी तरह से आयातों के कारण नहीं है और यह मुख्य रूप से इनपुट अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप कटौती किए गए उत्पादन के कारण है। पहले के वर्षों में, आयात कीमतों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में बिक्रियों की लागत में वृद्धि से ज्यादा वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में आयात कीमतों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में बिक्रियों की लागत में वृद्धि से ज्यादा वृद्धि हुई। तथापि, जांच की अवधि में आयात कीमतों और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में लागतों के साथ तुलना किए जाने पर कहीं अधिक अनुपातहीन तरीके से गिरावट आई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के लाभों, नकद लाभों और आरओआई में 2018-19 तक सुधार हुआ और जांच की अवधि में इसमें तेजी से गिरावट आई।
- ट. क्षति मार्जिन की मात्रा**
88. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी को यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया है। पीयूसी के एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत और पीओआई के लिए प्रेक्टिस करने वाले लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना हेतु विचार किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर भी विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन की लागत से बाहर रखा गया है। एनआईपी को निर्धारित करने के लिए पीयूसी के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22%) को कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। जैसाकि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है और जिसका अनुसरण किया जा रहा है।
89. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन नीचे सारणी में उपलब्ध कराया गया है।

क्र.स.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएसडालर/एमटी)	(यूएसडालर/एमटी)	(यूएसडालर/एमटी)	%	रेंज
1	यूरोपीय संघ	***	***	***	***	0-10
2	मलेशिया					
क	मै. बीएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी	***	***	***	***	20-30
ख	पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन. बीएचडी.,	***	***	***	***	20-30
ग	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
4	दक्षिण अफ्रीका	***	***	***	***	10-20
5	सिंगापुर	***	***	***	***	10-20
6	संयुक्त राज्य अमेरिका	***	***	***	***	10-20

ज. कारणात्मक संबंध

90. एडी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अतिरिक्त किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या क्षति पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण हुई क्षति न माना जाए। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है या पहुंचने की संभावना है। इसकी जांच की गई कि क्या एडी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारण घरेलू उद्योग की झेली जा रही क्षति में योगदान कर सकते हैं या क्षति में योगदान करने की संभावना है।

क. तृतीय देश से आयातों की मात्रा और कीमत

91. ताईवान और संयुक्त अरब अमीरात से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमाओं से अधिक है और ऐसी कीमतों पर हैं जो संबद्ध देशों से आयातों की कीमत की तुलना में समान स्तर पर हैं। तथापि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, संबद्ध देशों के क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, अन्य देशों से आयात मात्रा ने क्षति अवधि में गिरावट दर्शायी है, जबकि संबद्ध देशों से आयात मात्रा ने वृद्धि दर्शायी है।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत के पैटर्न में परिवर्तन

92. आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। 2018-19 में मांग में मामूली गिरावट आई थी किंतु जांच की अवधि में इसमें दुबारा वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में महत्वपूर्ण रूप से निम्न है। इसलिए, मांग में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान नहीं कर सकता था।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए प्रौद्योगिकी में अंतर क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

घ. व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती हों।

ड. निर्यात निष्पादन

95. घरेलू उद्योग निर्यात प्रचालन नहीं करता है और इसलिए क्षति का कारण नहीं हो सकता।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

96. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के केवल निष्पादन से संबंधित पृथक आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, इस जांच में आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता।

झ. क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

97. समीक्षा जांच में, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या संबद्ध वस्तुएं पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं या प्रवेश करने की संभावना है और क्या यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इन पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

झ.1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

98. क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध यहां नीचे दिए गए हैं:-

- क. संबद्ध देशों से अन्य देशों को किए गए महत्वपूर्ण निर्यात भारतीय बाजार में अभिभावी कीमतों से निम्न कीमतों पर हैं और शुल्कों को समाप्त करने से उन्हें लाभों को अधिकतम करने के लिए अपने निर्यातों का भारत को अपवर्तित करने का अवसर मिलेगा।
- ख. तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात पाटित और क्षति-रहित कीमतों पर हैं। शुल्कों को समाप्त करने से इन उत्पादकों को अपने निर्यात भारत को अपवर्तित करने की अनुमति मिलेगी।
- ग. संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है जैसाकि इन देशों से संपूर्ण निर्यातों में भारत को निर्यातों के भाग से स्थापित होता है।
- घ. संबद्ध देशों में क्षमताएं घरेलू मांग की तुलना में अधिक हैं जो इन उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर अन्य बाजारों की खोज के लिए दबाव डालता है।
- ड. चीन जन.गण. इन उत्पादकों के लिए एक प्राथमिक बाजार था किंतु चीन में महत्वपूर्ण क्षमताओं के उभरने के कारण, इन देशों से चीन को निर्यातों में तीव्र गिरावट आई है।
- च. चीन जन.गण. ने मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध देशों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया है।
- छ. ब्राजील ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया है और दक्षिण अफ्रीका से आयातों पर शुल्क लागू किया है।
- ज. पाटनरोधी शुल्क पर विचार करने के पश्चात भी कीमत कटौती सकारात्मक है।
- झ. कई वर्षों से, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।
- ञ. संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा उनकी सूचना के आधार पर यह स्थापित किया जाना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने, गहन होने या पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है।
- ट. बिक्री कीमत से निम्न कीमतों पर और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत पर महत्वपूर्ण निर्यात किए गए हैं।
- ठ. जांच पश्चात की अवधि मई, 2020 तक कोविड-19 से प्रभावित रही क्योंकि मई, 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। जांच पश्चात की अवधि में निष्पादन भारत में पूरे देश में किए गए लॉकडाउन का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है।

झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

99. क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध यहां नीचे दिए गए हैं:-

- क. घरेलू उद्योग को यह स्थापित करने की जरूरत है कि ऐसी मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमताएं हैं जिन्हें भारत को अपवर्तित किया जा सकता है।
- ख. घरेलू उद्योग को यह प्रमाणित करने की जरूरत है कि शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है जिसे निर्यातकों पर नहीं डाला जा सकता। यह दावा कि निर्यातकों को लगातार पाटन की संभावना न होने देने को स्थापित करना चाहिए, योग्यता से वंचित है।
- ग. जांच के पश्चात की अवधि के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए। चीन जन.गण. से विस्कोस फिलामेंट यार्न की निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने नोट किया कि क्षति की संभावना को स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच पश्चात अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- घ. मामले के तथ्य चीन जन.गण. से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के समान हैं जहां प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की थी।
- ड. जांच पश्चात की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है।
- च. मलेशिया को भारत पर निर्भर होने के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि मलेशिया से कुल निर्यातों का केवल 13 प्रतिशत निर्यात भारत को किया जाता है।
- छ. मलेशिया से आयातों की मात्रा में 2016-17 में 17,259 मी.टन से लगातार कमी होकर यह पीओआई में 8,235 मी.टन रह गया। मलेशिया आयातों को संचयी नहीं किया जा सकता और एडी नियमावली के अनुबंध-II के पैराग्राफ (vii) के अनुसार पाटित आयातों की वृद्धि की कोई उल्लेखनीय दर नहीं है। अन्य प्रमुख देशों से आयात (ताईवान और यूएई), जिन की जांच भी नहीं की गई है, मलेशिया की तुलना में उच्च थे। मलेशिया से घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- ज. सिर्फ अधिशेष क्षमताओं की मौजूदगी पाटित की संभावना अथवा पुनरावृत्ति को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- झ. प्रतिवादी को निर्यातों को भारत को अपवर्तित करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उत्पादकों ने अब पहले ही तीसरे देशों में बाजार स्थापित कर लिया है।
- ञ. पिछले 10 वर्षों से औसत निर्यातों के साथ क्षमताओं की तुलना स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित नहीं कर सकती कि अत्यधिक क्षमताएं मौजूद हैं।
- ट. आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में सूचीबद्ध पैरामीटरों पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। निर्मल लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, निर्णायक समीक्षा के मामले में खतरे वाले पैरामीटरों की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए।
- ठ. “अधिशेष” से तात्पर्य घरेलू मांग और वैश्विक मांग को पूरा करने के पश्चात बची हुई क्षमताओं से है। पिछले 10 वर्षों में देशों के औसत निर्यात यह स्पष्ट रूप से नहीं प्रदर्शित करते कि उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमताएं हैं।
- ड. चीन जन.गण., इंडोनेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से प्लेन जिपसम प्लास्टर बोर्ड के मामले में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान अधिशेष क्षमताओं और परिणामस्वरूप भारतीय बाजार को बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना के संबंध में कोई सत्यापनीय साक्ष्य और सूचना उपलब्ध नहीं कराई है इसलिए इस दावे की उपेक्षा की गई है।

- ढ. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, न्यायाधिकरण ने धारित किया कि अधिशेष उत्पादन क्षमता की विद्यमानता को स्पष्ट रूप से क्षति के स्पष्ट और आसन्न खतरे के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- ण. चूंकि, शुल्क 5 वर्षों से प्रवृत्त है, प्रतिवादी ने पहले ही विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करने के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढ लिए हैं और उन तीसरे देशों में आयातकों या प्रयोक्ताओं के साथ संविदात्मक या अन्यथा प्रबंध किए हैं। भारत को स्थानांतरित करने के लिए उनके कोई प्रोत्साहन पास नहीं है।
- त. संभावित विश्लेषण को अपनाने के लिए निश्चय/जांच पीओआई पश्चात आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए जैसाकि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित वायर रॉड ऑफ अलॉय या नॉन-अलॉय स्टील के आयातों के संबंध में हाल ही में समाप्त पाटनरोधी जांच में भी धारित किया गया है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

100. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II(vii) की शर्तों में महत्वपूर्ण क्षति के खतरे से संबंधित पैरामीटरों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर लगाए गए अन्य संगत कारकों के तहत निर्धारित अनिवार्यताओं पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।
101. वर्तमान जांच यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के तहत, प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना जरूरी है कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है, जो घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना पर प्रभाव डाल सकते हैं।
102. प्राधिकारी के अभ्यास के अनुसार, तृतीय देश के निर्यातों की तीसरे देशों में उत्पादकों का कीमत मूल्य व्यवहार देखने के लिए जांच की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य देशों को किए गए निर्यात घरेलू उद्योग के लिए क्षतिपूर्ण कीमतों पर और शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत को आयातों में वृद्धि की संभावना की जांच करने के लिए भारतीय कीमतों से निम्न कीमतों पर है।
103. प्राधिकारी ने जांच के पश्चात के आंकड़ों की कोई जांच नहीं की है क्योंकि यह कोविड-19 स्थिति के कारण किए गए शटडाउन से प्रभावित हुए हैं और क्योंकि आयातों की वर्तमान मात्रा स्वयं में संभावना का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त है।

झ.3.1 संबद्ध देशों में क्षमताएं

104. आवेदक ने मांग और क्षमता के वैश्विक आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और दावा किया है कि वैश्विक क्षमताएं मांग की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च हैं और इसलिए, उत्पादक हमेशा अपनी निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग करने के लिए निर्यात करने के लिए बाजारों की खोज करते हैं। आवेदक के अनुसार, यह बात संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए भी लागू होती है। संबद्ध देशों में क्षमताओं और मांग के संबंध में विशिष्ट सूचना की अनुपस्थिति में प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार किया गया है।

क्र.सं.	क्षेत्र	2019 में क्षमता	मांग 000 टन में			
			2020	2025	2030	2035
1	एशिया	2040	3,018	3,677	4,382	5,168
2	अफ्रीका	1,50	42	48	58	63
3	मध्य पूर्व	3,36	160	164	184	218
4	केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोप	185	123	138	160	189
5	उत्तरी अमेरिका	1225	938	1,058	1,201	1,346
6	दक्षिण एवं केन्द्रीय अमेरिका	40	66	69	78	91
7	पश्चिमी यूरोप	750	776	843	934	1,034

स्रोत: उक्त तालिका में क्षमताएं आईसीआईएस केमिकल बिजनेस, 2019 से और मांग नेक्सांत द्वारा बाजार एनालिटिक्स: ओक्सो अल्कोहल्स-2018 से ली गई हैं।

झ.3.2 निर्यात प्रचालन

105. आवेदक ने संबद्ध देशों में क्षमताओं के संबंध में और पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा किए गए औसत निर्यातों के संबंध में सूचना उपलब्ध करायी है:-

क्र.सं.	देश	क्षमता(एमटी/वर्ष)	पिछले 10 वर्षों में औसत निर्यात	निर्यात क्षमता के % के रूप में
1	यूरोपीय संघ	10,25,000	52,840	5%
2	मलेशिया	2,72,000	1,04,433	38%
3	सिंगापुर	55,000	32,681	59%
4	दक्षिण अफ्रीका	1,50,000	1,41,785	95%
5	यूएसए	12,30,000	1,60,867	13%

स्रोत – उक्त सारणी में क्षमताएं आईसीआईएस केमिकल्स बिजनेस, 2019 और निर्यात यूरोपियन यूनियन एज पर यूरोस्टेट और अन्य देशों से निर्यात ट्रेडमैप के अनुसार ली गयी है।

106. यह देखा गया है कि यूरोपीय संघ को वर्जित करने के लिए कुल क्षमता की 10 प्रतिशत से अधिक क्षमता को निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है। यह भी देखा गया है कि मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रतिशतांक के रूप में निर्यात महत्वपूर्ण रूप से उच्च हैं।

झ.3.3 तृतीय देश पाटन

107. नीचे दी गई सारणी सामान्य मूल्य से निम्न कीमतों पर जांच की अवधि के दौरान तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा दर्शाती है:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	यूरोपीय संघ	मलेशिया	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	यूएसए
1	सामान्य मूल्य से निम्न निर्यातों की मात्रा	एमटी	9,957	34825	9,801	132,802	98,066
2	सामान्य मूल्य से अधिक निर्यातों की मात्रा	एमटी	1,518	28513	1,518	2,028	13,525
3	तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	11,475	63,338	11,319	134,830	111,592
4	सामान्य मूल्य से निम्न निर्यातों का %	%	87%	55%	87%	98%	88%
5	सामान्य मूल्य से निम्न भारत में मांग में निर्यातों का %	%	13%	47%	13%	178%	131%
		रेंज	10-20%	40-50%	10-20%	170-180%	130-140%

स्रोत: यूरोपीय संघ से निर्यात यूरोस्टेट के अनुसार और अन्य देशों से निर्यात ट्रेडमैप के अनुसार।

108. तीसरे देशों से निर्यात मात्रा जो सामान्य मूल्य से निम्न हैं, संबंधित देशों के तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में महत्वपूर्ण हैं और भारत में मांग की शर्तों में भी महत्वपूर्ण हैं।
109. नीची दी गई तालिका पाटित आयातों पर तीसरे देशों (असंबद्ध उपभोक्ताओं को) के प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा निर्यातों की मात्रा को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मै. बीएसएफ पेट्रोनेस केमिकल्स एसडीएनबीएचडी	मै. पैट्रोनेस केमिकल्स डेरीवेटिव्स एसडीएन बीएचडी
1	सामान्य मूल्य से निम्न निर्यातों की मात्रा	एमटी	***	***
2	सामान्य मूल्य से अधिक निर्यातों की मात्रा	एमटी	***	***
3	तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
4	सामान्य मूल्य से निम्न निर्यातों का %	%	29%	100%
		%	20-30%	90-100%

स्रोत: उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों से प्रश्नावली उत्तर।

110. उपर्युक्त तालिका से ये देखा जा सकता है कि तीसरे देशों को संबद्ध देशों से महत्वपूर्ण निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए हैं।

झ.3.4 जारी पाटन

111. नीचे दी गई तालिका पिछली जांच और वर्तमान जांच के मामले में पाटन मार्जिन को दर्शाती है। यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है और महत्वपूर्ण है।

क्र.सं.	देश	मूल जांच में पाटन मार्जिन	वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन
1	यूरोपीय संघ	15-20% & 30-35%	20-30%
2	मलेशिया	0-5%, 10-15% & 15-20%	0-10%, 30-40%, 30-40%
3	सिंगापुर	10-15%	10-20%
4	दक्षिण अफ्रीका	10-15%	30-40%
5	यूएसए	20-25%	30-40%

झ.3.5 कीमत आकर्षण

112. घरेलू उद्योग ने भारतीय कीमतों से कम कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध देशों के संबंध में निर्यातों की मात्रा प्रस्तुत की है:-

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	यूरोप	मलेशिया	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	यूएसए
1	भारतीय कीमतों से कम पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	1,309	62,568	8,732	132,662	82,121
2	भारतीय कीमतों से अधिक पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	10,166	770	2,588	2,168	29,470
3	तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	11,475	63,338	11,319	134,830	111,592

4	भारतीय कीमतों से कम पर निर्यातों का %	%	11%	99%	77%	98%	74%
5	भारतीय कीमतों से कम पर भारत में मांग में निर्यातों का %	%	2%	84%	12%	177%	110%
		रेंज	0-10%	80-90%	10-20%	170-180%	100-110%

स्रोत: - यूरोस्टैट के अनुसार यूरोपीय संघ से और अन्य देशों से निर्यात ट्रेडमैप के अनुसार।

113. तीसरे देश को निर्यात मात्रा, जो भारतीय कीमतों से कम हैं, संबंधित देशों के तीसरे देश के निर्यातों के संबंध में महत्वपूर्ण है और भारत में मांग की शर्तों में भी महत्वपूर्ण हैं।
114. नीचे दी गई तालिका तीसरे देशों को (असंबद्ध उपभोक्ताओं को) प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मै. बीएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएनबीएचडी	मै. पेट्रोनास केमिकल्स डेरीवेटिव्स एसडीएन.बीएचडी
1	भारतीय कीमतों से कम पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	***	***
2	सामान्य भारतीय कीमतों से अधिक पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	***	***
3	तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
4	भारतीय कीमतों से कम पर निर्यातों का %	%	100%	2%
			90-100%	0-10%

स्रोत: - उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों से प्राप्त प्रश्नावली उत्तर।

115. उक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से तीसरे देशों को किए गए महत्वपूर्ण निर्यात भारतीय कीमतों से निम्न कीमतों पर किए गए हैं।

झ.3.6 क्षतिपूर्ण निर्यात

116. नीचे दी गई तालिका एनआईपी से कम कीमतों पर संबद्ध देशों से तीसरे देशों को किए गए निर्यातों के संबंध में मात्रा को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	यूरोप	मलेशिया	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	यूएसए
1	एनआईपी से निम्न पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	1,825	62,872	9,747	132,664	92,278
2	एनआईपी से अधिक पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	9,650	466	1,572	2,166	19,313
3	तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	11,475	63,338	11,319	134,830	111,592
4	एनआईपी से निम्न पर निर्यातों का %	%	16%	99%	86%	98%	83%

5	एनआईपी से निम्न पर भारत में मांग में निर्यातों का %	%	2%	84%	13%	177%	123%
		रेंज	0-10%	80-90%	10-20%	170-180%	120-130%

स्रोत: - यूरोस्टेट के अनुसार यूरोपीय संघ से निर्यात और ट्रेडमैप के अनुसार अन्य देशों से निर्यात।

117. नीचे दी गई तालिका घरेलू उद्योग के एनआईपी से निम्न कीमतों पर तीसरे देशों को प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा निर्यातों की मात्रा को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूनिट	मै. बीएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएनबीएचडी	मै. पेट्रोनास केमिकल्स डेरीवेटिव्स एसडीएन.बीएचडी
1	एनआईपी से निम्न पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	***	***
2	एनआईपी से अधिक पर निर्यातों की मात्रा	एमटी	***	***
3	तीसरे देशों को कुल निर्यात	एमटी	***	***
4	एनआईपी से निम्न पर निर्यातों का %	%	100%	5%
		रेंज	90-100%	0-10%

स्रोत: - उत्तर प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों और निर्यातों से प्राप्त प्रश्नावली उत्तर।

118. आवेदक ने अनुरोध किया है कि तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात किए गए हैं जो घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से निम्न कीमतों पर हैं। शुल्कों को विस्तारित न किए जाने की स्थिति में, संबद्ध देशों में उत्पादक इन वस्तुओं को भारत को अपवर्तित कर देंगे क्योंकि भारतीय बाजार में कीमतें उनके लिए लाभप्रद हैं।
119. नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि आयात की मात्रा घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम है।

क्र.सं.	विवरण	एनआईपी से निम्न पर आयात(एमटी)	कुल आयात (एमटी)	एनआई से निम्न पर आयातों का हिस्सा
1	यूरोपीय संघ	3,000	3,000	100%
2	मलेशिया	8,235	8,235	100%
3	सिंगापुर	8,986	8,986	100%
4	दक्षिण अफ्रीका	13,431	13,431	100%
5	यूएसए	12,560	12,593	100%

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस का सौदावार आयात डाटा।

झ.3.7 वर्तमान क्षति अवधि के दौरान आयात

120. यह देखा गया है कि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के बावजूद जांच की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई। हालांकि भारत में बढ़ती हुई मांग तथा मांग-आपूर्ति अंतर के कारण आयातों में वृद्धि आसन्न थी, चिंता घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से निम्न पर इन आयातों के उल्लेखनीय प्रतिशतांक और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत के संबंध में है।

अ.3.8 संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए बाजार की हानि

121. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के लिए चीन एक प्राथमिक बाजार था। तथापि, हाल के वर्षों में चीन में महत्वपूर्ण क्षमताएं स्थापित की गई हैं, जिसके कारण उत्पादकों ने बाजार के रूप में चीन को खो दिया है। नीचे दी गई तालिका पिछले 10 वर्षों में चीन को संबद्ध देशों से निर्यातों को दर्शाती है।

क्र.सं.	वर्ष	यूरोपीय संघ	मलेशिया	सिंगापुर	दक्षिण अफ्रीका	संयुक्त राज्य अमेरिका
1	2010-11	47,625	76,956	40,085	63,750	59,545
2	2011-12	28,419	73,275	32,864	40,870	89,542
3	2012-13	32,577	62,270	34,979	34,360	55,912
4	2013-14	8,039	34,733	24,951	28,040	31,067
5	2014-15	26	25,558	9,001	16,780	80
6	2015-16	3,064	12,809	6,856	26,678	8,291
7	2016-17	563	35,108	11,476	33,893	32,437
8	2017-18	3,887	6,742	11,532	25,432	20,261
9	2018-19	46	6,754	3,004	32,330	11,153
10	पीओआई (2019-20)	1,222	19,459	5,458	37,085	20,352

122. यह देखा गया है कि वर्षों के साथ सभी संबद्ध देशों से निर्यातों में गिरावट आई है। इसलिए, संबद्ध देशों में उत्पादक अधिशेष क्षमताओं का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की खोज करने का प्रयास करेंगे।
123. आवेदक ने यह भी कहा है कि चीन ने मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अलावा, ब्राजील ने दिसंबर, 2016 में दक्षिण अफ्रीका से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने आयातों पर शुल्कों का विस्तार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच तीसरे देशों में वस्तुओं को पाटित करने और संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों की प्रवृत्तियों और पद्धतियों और यदि वर्तमान शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो भारत को ऐसे निर्यातों के विपथन की संभावना को दर्शाती है।

अ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

124. प्राधिकारी ने मामले के जरूरी तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए 16.03.2021 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त किए गए हैं। उठाए गए मुद्दों में से अधिकतर को पहले ही उठाया जा चुका है और उचित रूप से समाधान किया जा चुका है। संगत माने गए अतिरिक्त अनुरोधों की यहां नीचे जांच की गई है:

अ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

125. उद्योग में वर्तमान और भावी निवेशकों को संरक्षण दिए जाने की जरूरत है जिसमें भारत में क्षमता, भारत में मांग से अधिक होगी, जिसके कारण आयात आवश्यक हो जाएंगे। बी पी सी एल कोच्चि, सऊदी आराम्को और आबू धाबी नेशनल ऑयल कं., रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी सहित बी ए एस एफ एसई, इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई ओ सी) जैसी कंपनियां ओक्सो-एल्कोहल के लिए भारत में नए निवेश के लिए तैयार हैं।
126. मलेशिया (मैसर्स बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन बीएचडी, पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन. बीएचडी.) के मामले में दोनों प्रतिवादी उत्पादकों के पाटन मार्जिन में काफी भिन्नता है।
127. मलेशिया के दोनों उत्पादकों के लिए आयात कीमत के संबंध में प्रदान की गई सूचना के अनुसार, यह देखा गया है कि भारत में आयात कीमत में कुल मिलाकर मुश्किल से 4 रु. प्रति कि. ग्रा. का अंतर है।
128. जब दो उत्पादक एक ही बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति के तहत प्रचालन कर रहे हैं तो पेट्रोनास के सामान्य मूल्य को बी ए एस एफ पर लागू किया जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी को पेट्रोनास की बिक्री कीमत पर विचार करना

चाहिए और वैकल्पिक रूप से दोनों उत्पादकों के उत्पादन की लागत की तुलना करनी चाहिए। यदि दोनों उत्पादकों के बीच उत्पादन की लागत के बीच पर्याप्त अंतर है तो प्राधिकारी को मैसर्स बी ए एस एफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएन. बीएचडी. की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करना चाहिए।

129. यह तथ्य कि आयातक हानियों पर बिक्री कर रहा है, स्पष्ट रूप से उत्पादन के लिए भारतीय बाजार के महत्व को दर्शाता है। इस समायोजन से प्राधिकारी की विगत प्रथा की पुष्टि होती है, जहां निवल कारखाना बाह्य कीमत समायोजित की गई थी, जैसे "यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपेई और संयुक्त अरब अमीरात से टोलुएन डाइलसोसाइनेट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच" के मामले में था।
130. शुल्क लगाए जाने का, उपभोक्ताओं अथवा आम जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था क्योंकि विभिन्न क्षमताओं का विस्तार करने की योजना देश में हाल के वर्षों में बनाई गई है, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से विकास किया है और वित्तीय विवरणों में यह दर्शाया गया है कि शुल्कों का कोई प्रतिकूल शुल्क प्रभाव नहीं रहा।
131. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने पर ही देश में विभिन्न क्षमता विस्तार के लिए मार्ग खुला, जो यह दर्शाता है कि शुल्क सार्वजनिक हित में रहे हैं।
132. यह असंभव है कि विदेशी उत्पादकों के पास उनके अपने घरेलू बाजार में क्षमता और मांग के संबंध में कोई विचार नहीं हो। यह स्पष्ट रूप से तथ्यों को छुपाना है और इसे जानबूझकर असहयोग माना जाना चाहिए।
133. घरेलू उद्योग ने होल्डर टोप्से के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है और यह कहा है कि इस कोर्ट की टिप्पणी एक न्यायचिक कोर्ट में कार्यवाही के संदर्भ में थी और यह प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के लिए समान रूप से लागू है, जिसमें उनके समक्ष उचित साक्ष्य रखना कर्तव्य बन जाता है और साथ ही नियमावली के नियम 6 (8) में दी गई परिस्थितियों में उन्हें प्रतिकूल अनुमान लगाने का भी सांविधिक अधिकार है।
134. उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति को देखते हुए ओक्सो एल्कोहल के उत्पादक सामान्य बुटानोल के उत्पादन के लिए 2-इथाइल हेक्सानोल की उत्पादन क्षमताओं का बदल-बदल कर उपयोग कर सकते हैं।
135. संबद्ध देशों में उत्पादि सामान्य बुटानोल के उत्पादन के लिए भी 2 इथाइल हेक्सानोल के लिए अपनी निष्क्रिय क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं।

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्ष 2019 में क्षमता (000 टन)			वर्ष 2020 में मांग (000 टन)		
		एनबीए	2ईएच	कुल	एनबीए	2ईएच	कुल
1	एशिया	2,040	3,703	5,743	3,018	3,255	6,273
2	अफ्रीका	150	-	150	42	10	52
3	मध्य पूर्व	336	195	531	160	178	338
4	यूरोप	935	960	1,895	899	485	1,384
5	अमेरिका	1,265	1,370	2,635	1,004	587	1,591
	कुल	4,726	6,228	10,954	5,123	4,515	9,638

136. यह तथ्य कि एक प्रतिवादी उत्पादक समग्र उत्पादन का निर्यात करता है और उसकी घरेलू बाजार में कोई बिक्रियां नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि क्षमताएं मांग से अधिक हैं और उत्पादक काफी निर्यात उन्मुखी हैं।
137. पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा ऐसी अनुचित कीमत भिन्नता का समाधान है, जो कि भारत में उद्योग के लिए हानिकारक हैं और यह उद्योग को कोई संरक्षण नहीं है।
138. वर्ष 2021-22 के प्रथम अर्ध वर्ष की अवधि के लिए पूरी कंपनी के वित्तीय विवरणों में सुधार दर्शाया जाएगा लेकिन यह एक कंपनी स्तर पर है। घरेलू उद्योग के लाभ प्रभावी रखने के लिए जारी रहे हैं।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

139. वर्तमान जांच में उत्पादक पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन. बीएचडी. अथवा पीसीडी है। पीसीडी द्वारा उत्पादित वस्तुएं पीसीएमएल द्वारा विपणन की जाती हैं तथापि, पाटन और क्षति मार्जिन तालिका में उत्पादक का गलत नाम पेट्रोनास कैमिकल्स मार्केटिंग (लबुआन) लिमिटेड अथवा पीसीएमएल उल्लिखित किया गया है।
140. प्रतिवादियों के लिए सामान्य मूल्य पैरा के तहत किसी अन्य संस्था के संबंध में तथ्य का उल्लेख किया गया है।
141. प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण आधार पर प्रतिवादियों के लिए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है, क्योंकि प्राधिकारी ने जांच की अवधि के लिए भारित औसत आधार पर प्रतिवादियों के लिए निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य की गणना की है। इसे पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-I के तहत अनुमत वैकल्पिक प्रणाली के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए।
142. मलेशियाई कानून के तहत टर्नअराउंड समय और उसके बाद शटडाउन एक सांविधिक आवश्यकता है। जैसा कि इस अवधि के दौरान स्पष्ट है, लागतें असामान्य रूप से अधिक थी और प्रतिभागियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की सामान्य लागतें इसमें प्रदर्शित नहीं हो रही थी। प्राधिकारी ने प्रतिवादियों की लाभकारी घरेलू विक्रियों की गणना करने के लिए ***/ यूएस डॉलर प्रति मी. टन की असामान्य भारित औसतन लागत पर विचार किया है, जिससे पाटन मार्जिन अत्यधिक हो गया है और इसमें सामान्य तथ्य की स्थिति नहीं दिखाई देती। टर्नअराउंड समय के दौरान भारित औसतन लागतों और पाटन मार्जिन की गणना करते समय इन अत्यधिक लागतों का प्रभाव दूर किया जाना चाहिए।
143. प्राधिकारी को उत्पादन की लागत को सामान्य करना चाहिए जैसा कि मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा किया गया था।
144. विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक कीमतों में जांच की अवधि के दौरान एक गिरावट की प्रवृत्ति रही है और यही कारण है कि भारित औसत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना से विषम और विकृत परिणाम मिलेंगे। पाटन मार्जिन का निर्धारण सौदा- दर- सौदा आधार पर किया जाना चाहिए।
145. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन प्रभावी रूप से प्रतिभागी उत्पादकों को दंडित करता है और और गैर-प्रतिभागी को प्रोत्साहित करता है।
146. चूंकि एनआईपी स्थिर है, अतः मलेशिया का क्षति मार्जिन साउथ अफ्रीका और सिंगापुर की तरह से ही होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, यह मलेशिया से अधिक होना चाहिए क्योंकि उसकी पहुंच कीमत कम है।
147. बाजार की सूचना के अनुसार, संबद्ध देशों में उत्पादक (उदाहरण के लिए सिंगापुर में ईस्टमेन कैमिकल्स और समग्र अफ्रीका में सासोल) भी भारत को निर्यात करते समय अन्तर्राष्ट्रीय कीमत की प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं। अतः इस कारण से भी प्रतिवादियों और असहयोगी उत्पादकों के लिए पहुंच मूल्य और क्षति मार्जिन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।
148. प्राधिकारी ने क्षति के निर्धारण के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-II पर भरोसा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने इस बात को नजरअंदाज किया है कि उसी अनुलग्नक के पैरा (vii) (क) में यह भी प्रावधान है कि “पर्याप्त रूप से बढ़ते आयातों की संभावना का उल्लेख करते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण दर” होनी चाहिए।
149. वर्ष 2018-19 के लिए जांच की अवधि के साथ मात्र विश्लेषण करने से सही तस्वीर प्राप्त नहीं होती। वर्ष 2018-19 के लिए जांच की अवधि के साथ विश्लेषण करने में, वर्ष 2016-17 (आधार वर्ष) की जांच की अवधि के साथ शुरु से अंत तक की तुलना के विश्लेषण को शामिल किए जाने की जरूरत है ताकि पूरी क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आर्थिक कार्य निष्पादन की सही तस्वीर प्राप्त हो सके।
150. प्राधिकारी को गैर-क्षतिकारी कीमत और क्षति के लिए अन्य आर्थिक मापदंडों का समायोजन करने तथा कारणात्मक संबंध का विश्लेषण करने की जरूरत है, जैसा कि चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ‘प्योरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड’ के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में किया गया था।

151. प्राधिकारी ने ईस्टमेन के इस अनुरोध का आकलन नहीं किया है कि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और इसीलिए, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ('अधिनियम') और ('पाटनरोधी नियमावली') के नियम 23 के अनुसार शुल्क की व्यक्तिगत दर निर्धारित करने के लिए एक न्यू शिपर समीक्षा आवेदन (जब भी अपेक्षित हो) दाखिल करने के लिए पात्र हैं।
152. प्राधिकारी द्वारा मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है, अतः इसे मात्रा और कीमत क्षति का मूल्यांकन करने के लिए शामिल नहीं किया गया था।
153. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने जांच में भाग नहीं लिया है, तथापि, यह विवरण गलत है क्योंकि ईस्टमेन कैमिकल कंपनी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से एक उत्पादक है, ने जांच में भाग लिया है, हालांकि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया था, क्योंकि कंपनी ने जांच की अवधि के दौरान और साथ ही क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।
154. इस तथ्य के बावजूद कि निर्यात कीमत (संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए) का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है लेकिन प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में निर्यात कीमत की गणना नहीं की है और उसके लिए गोपनीय होने का दावा किया गया है।
155. चूंकि प्राधिकारी द्वारा कारखाना बाह्य निर्यात कीमत के लिए गणना करने के लिए अपनाए गए उपलब्ध तथ्य अगोपनीय हैं, अतः प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों में निर्यात कीमत, कीमत समायोजनों और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत के डेटा का उल्लेख करने का अनुरोध किया जाता है।
156. प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री की कमी के कारण उद्योग को हुई क्षति की एक सीमित जांच की है, जिसमें प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करने में विफल रहे हैं।
157. प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/7/2013- डीजीएडी के तहत जारी, चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित प्योरिफाइड टेरैफ्थेलिक एसिड (पी टी ए) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी अन्तिम जांच परिणामों में, एन आई पी की गणना करते समय अन्य कारकों के प्रतिकूल प्रभाव का समायोजन किया है, जबकि प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में एन आई पी और अन्य कारकों पर उत्पादन की कटौती के प्रभाव को समायोजित नहीं किया है, बावजूद इसके यह स्वीकार किया है कि इसमें उत्पादन क्षमता उपयोग, बिक्रियों, बाजार अंश और अन्य आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव पड़ा है।
158. प्राधिकारी को सभी क्षति मापदंडों के लिए घरेलू उद्योग के डेटा को बहिर्वेशन के द्वारा कच्ची सामग्री की कमी के प्रभाव को समायोजित करना चाहिए।
159. प्रतिवादियों को एस जी ए व्ययों की गणना के लिए सभी व्यौरों सहित कोई उचित सूचना प्रदान नहीं की गई है और न ही पर्याप्त समय प्रदान किया गया है ताकि वे अपनी सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकें।
160. विचाराधीन उत्पाद के आयातक के कुल व्यय का हिस्सा बिक्री राजस्व के आधार पर गलत है और इसके गलत परिणाम मिलेंगे।
161. आयातक उत्पादकों के निर्माण और व्यापार (हाई सी सेल्स) दोनों में लगा है। व्यापार क्रियाकलाप के लिए एस जी ए व्यय, निर्माण क्रियाकलाप के लिए एस जी ए व्यय की तुलना में काफी कम हैं क्योंकि सेवा लागत, निर्माण के लिए कार्यकारी लागत, भंडारण लागत, लोडिंग और अनलोडिंग आदि जैसी लागतें व्यापार बिक्रियों (हाई सी सेल्स) के लिए नहीं होती। कंपनी 'हाई सी सेल्स' में भी शामिल है, जो कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा बिल ऑन इंटी सीधे दाखिल किया जाता है न कि आयातक द्वारा। सत्यापन दस्तावेजों के भाग के रूप में पूरा सैम्पल इनवॉयस सत्यापन दस्तावेजों के भाग के रूप में प्राधिकारी के पास पहले ही दाखिल कर दिया गया था।
162. विचाराधीन उत्पाद पेट्रोकेमिकल्स (सी पी) डिवीजन में आता है। तदनुसार, पेट्रोकेमिकल्स (सी पी) डिवीजन के व्यय निम्नलिखित के आधार पर विचाराधीन उत्पाद को आबंटित किए गए थे:- (क) सी पी डिवीजन की लागत भेजे गए आदेशों की संख्या के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के लिए आबंटित की गई है। (ख) विचाराधीन उत्पाद के लिए अलग की गई कुल लागत को बाद में बिक्री राजस्व के आधार पर मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद को आबंटित किया जाता है।

163. यह उल्लेखनीय है कि बी ए एस एफ इंडिया लिमिटेड को प्राधिकारी से जांच की किसी भी अवस्था में एस जी ए के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आयातक को विचाराधीन उत्पाद के एस जी ए (मलेशिया) के संबंध में अपने दावे को स्पष्ट करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
164. मलेशिया में संबद्ध उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं, और दोनों ने ही सहयोग किया है। तदनुसार, यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि क्षमताओं और मांग के संबंध में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।
165. प्राधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि निर्यातक से संबंधित विश्लेषण करने के लिए कि निर्यातक के वास्तविक सामान्य मूल्य पर विचार किया गया या नहीं।
166. प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण विवरण में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उसे निर्यात कीमत की पद्धति प्राप्त हो गई है, जिसे भारत और अथवा सौदे से सीधा तुलना करने के लिए उपयोग करके उपयुक्त रूप से शामिल नहीं किया जा सकता।
167. अन्तिम प्रयोक्ता (एंड यूजर) प्रश्नावली में परिशिष्टों का प्रयोजन और उद्देश्य अन्तिम प्रयोक्ताओं (एंड यूजर) पर प्रभाव की जांच करना है। अतः माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह गलत है कि वह यह निष्कर्ष निकालें कि अन्तिम प्रयोक्ताओं (एंड यूजर) द्वारा प्रभाव की स्थापना अथवा गणना के लिए कोई डेटा प्रदान नहीं किया गया था।
168. यदि घरेलू उद्योग पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति करता है तो आयातों में तेजी से कमी आएगी और उस मामले में अब विचार किए गए सभी संभावना के मापदंड असंगत हो जाएंगे।
169. इस प्रकार, संभावना की जांच करते समय, घरेलू उद्योग के आन्तरिक मामलों पर बल दिया जाएगा और यदि घरेलू उद्योग की चुनौती केवल उनके आन्तरिक मामले हैं तो पाटनरोधी शुल्क को जारी नहीं रखा जाए और वर्तमान मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग अपनी समस्याओं के कारण प्रभावित है न कि आयातों के कारण।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

170. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण के उपरांत की टिप्पणियों तथा उनकी पुनरावृत्तियों की जांच की है, जो पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी हैं और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से शामिल की जा चुकी हैं। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मामलों की इस प्रकार जांच की जाती है :-
 - i. बी ए एस एफ के सामान्य मूल्य पर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, बी ए एस एफ के सामान्य मूल्य को प्राधिकारी की सतत प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई है।
 - ii. घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि 2ईएच के उत्पादक सामान्य बुटानोल के उत्पादन के लिए अपनी उत्पादन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और भारत में क्षमताओं की संचित रूप से तुलना की जानी चाहिए। यह देखा जाएगा कि वैश्विक रूप से संचित क्षमताएं भारत में मांग से अधिक हैं।
 - iii. कच्ची सामग्री की कमी के कारण उत्पादन की हानि होने के कारण घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का समायोजन करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कच्ची सामग्री की उपलब्धता न होने के कारण आवेदक के संयंत्र को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। आवेदक द्वारा निरंतर उत्पादन किया गया था, यद्यपि उत्पादन की दर कम थी। प्राधिकारी ने हर तरह से गैर-क्षतिकारी कीमत की गणना करने के प्रयोजन के लिए आवेदक की क्षमता को पर्याप्त रूप से सामान्य माना है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल के लिए उत्पादन को समायोजित करने के बाद निर्धारित किया है और यह पाया है कि डेटा अभी भी जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में काफी गिरावट को दर्शाते हैं। यह स्पष्ट है कि लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट अधिकांशतः कीमत के कारण है न कि उत्पादन में हानि के कारण है। शटडाउन के कारण लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल में गिरावट बिल्कुल सामान्य है।

- iv. यह कहा गया है कि मलेशिया के लिए क्षमता और मांग के संबंध में सूचना प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई थी। यह देखा गया है कि 5 संबद्ध देशों में से केवल मलेशिया ने ही सक्रिय रूप से भाग लिया है। अतः अन्य संबद्ध देशों के लिए क्षमता और मांग के संबंध में सूचना प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने केवल मलेशिया के लिए ही क्षमता और मांग के संबंध में विचार किया है और इसे नीचे दर्शाया गया है। यह देखा गया है कि मलेशिया में क्षमताएं देश में मांग की तुलना में काफी अधिक हैं और एक उत्पादक ने तो अपना समग्र उत्पादन केवल निर्यात करने के लिए ही किया है।

क्र. सं.	विवरण	मात्रा मी. टन में
1	मलेशिया में क्षमता	***
2	घरेलू बिक्रिया	
क	बी ए एस एफ पेट्रोनास कैमिकल्स एसडीएन. बीएचडी.	***
ख	पेट्रोनास कैमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन. बीएचडी.	***
3	सरप्लस क्षमता	***

स्रोत :- घरेलू बिक्रिया प्रतिवादी उत्पादकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर से ली गई हैं।

- v. प्राधिकारी ने कीमत की आकर्षकता, तीसरे देश में पाटन और क्षतिकारी निर्यातों को, ऐसे विश्लेषणों के लिए सतत कार्यप्रणाली के अनुसार जांच की है।
- vi. केवल पूर्व वर्ष के साथ तुलना करके किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण पर की गई टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पिछले वर्ष एवं पिछले वर्ष से पूर्व के वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। आधार वर्ष के साथ तुलना यह दर्शाती है कि जांच की अवधि में कार्य निष्पादन आधार वर्ष की तुलना में बेहतर था। तथापि, प्राधिकारी द्वारा संभावना के संबंध में किया गया निष्कर्ष जांच की अवधि के कार्य- निष्पादन पर आधारित है, यह विचार करते हुए कि यह पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के माले में संभावना की स्थिति पर विचार करने के लिए सबसे उपयुक्त है।
- vii. नाम के संबंध में पेट्रोनास के अनुरोध का उचित ध्यान रखा गया है।
- viii. इस अनुरोध के संबंध में कि शुल्कों का निर्धारण 'ट्राइगर प्राइस' के रूप में अथवा "परिवर्तनीय आधार" पर किया जा सकता है, प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि ट्राइगर शुल्क का निर्धारण होने से पक्षकार द्वारा बताया गया प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आधार पर शुल्क के विस्तार की जरूरत का निष्कर्ष दिया है। ऐसा मामला होने पर प्राधिकारी मौजूदा शुल्कों का उसी रूप में और उसी मात्रा में विस्तार करना उपयुक्त मानते हैं, जिस रूप और जिस मात्रा में वह लागू था।
- ix. निर्यातोन्मुखी होने की जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने विगत 10 वर्षों के निर्यातों के साथ क्षमता की तुलना की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्याप्त प्रतिनिधिक वर्षों के निर्यातों पर इस विश्लेषण के लिए विचार किया गया है।
- x. प्राधिकारी ने मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डे पर आयात किए गए सामानों की जांच की और पाया कि ये मुख्य रूप से बहुत ही तुच्छ मात्रा और उच्च कीमत के साथ नमूने हैं। यह ध्यान दिया जाता है कि इन सामानों का व्यापार नहीं किया जाता है, क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से उन पर विचार करने का कोई कारण नहीं है।
- xi. प्राधिकारी मानते हैं कि प्रकटन विवरण पर सार्थक टिप्पणियां प्रस्तुत करने और कारखाना द्वारा निर्यात कीमत के परिकलन के लिए हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त समय और अवसर दिया गया है।
- xii. बीएसएसएफ की दलील के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली में प्रतिवादी पक्षकारों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपेक्षित है कि वे उत्तर के साथ सभी दस्तावेज और स्रोत सामग्री प्रदान करें। तथापि पक्षकार प्रश्नावली का उत्तर देते समय ऐसी कोई सूचना प्रदान करने में विफल रहे हैं। हितबद्ध पक्षकार की यह दलील की आयातक को कोई अवसर नहीं दिया गया, निराधार है। इसके विपरीत, प्रश्नावली में ही अपेक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं और हितबद्ध पक्षकार इन अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहा है।

- xiii. इस दलील के संबंध में कि अलग-अलग सौदों के आधार पर पाटित, क्षतिकारी या कीमत आकर्षक मात्राओं का निर्धारण अनुचित है और त्रुटिपूर्ण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति प्राधिकारी की परिपाटी से संगत है। पद्धति को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पक्षकार ने उसे सिद्ध नहीं किया है। विश्लेषण का प्रयोजन तीसरे देशों को मात्रा का परिमाण बताना है जिसे एडीडी की समाप्ति की स्थिति में भारत भेजा जा सकता है। प्रतिवादी निर्यातक ने यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया है कि यदि एडीडी की समाप्ति की स्थिति में भारत बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त करने की संभावना में भारत को तीसरे देशों के निर्यातों को भेजने की संभावना नहीं है। इस संबंध में अनुबंध-1 का संदर्भ उचित है। अनुबंध-1 वर्तमान पाटन के निर्धारण के लिए संगत है। तथापि, प्राधिकारी ने एडीडी की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के लिए इस पद्धति का पालन किया है।
- xiv. लागत को सामान्य करने के पेट्रोनास के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नई उत्पादन सुविधा के मामले में स्टार्ट-अप प्रचालनों के दौरान हुए व्ययों के लागत समायोजन के लिए नियमावली में प्रावधान है।
- xv. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि एक निर्यातक ने भारित औसत आधार पर पाटन मार्जिन के निर्धारण की दलील दी है तथापि एक निर्यातक ने सौदा-वार आधार पर पाटन मार्जिन के निर्धारण की दलील दी है। तथापि, केवल इस तथ्य कि कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई, से यह अर्थ नहीं निकलता है कि भारित औसत पद्धति अनुचित है।
- xvi. ईस्टमैन की दलील के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जाँच का उद्देश्य इस बात की जाँच करना नहीं है कि क्या निर्यातक न्यू शिपर समीक्षा के लिए पात्र हैं। निर्यातक वर्तमान एडीडी का समय बढ़ाये जाने की स्थिति में कानून के अनुसार अपना दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को स्थापित किया जा सके जोकि देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्थापित नहीं किया है कि शुल्कों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित पर विपरीत प्रभाव डालेगा।
172. यह माना गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना संभवतः संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करते हुए विनिर्मित उत्पाद की कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव डाल सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की वसूली घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए जरूरी राशि तक प्रतिबंधित है। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय को लागू किए जाना पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ को समाप्त करेगा, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

ठ. निष्कर्ष

173. उठाए गए विवादों, उपलब्ध करायी गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में यथा रिकॉर्ड किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में तथा पाटन के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आधार पर, प्राधिकारी निष्कर्ष देते हैं कि:-
- संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन किया गया है और शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमतों पर आयातों के भारतीय बाजार में प्रवेश करने की संभावना है।
 - यद्यपि आधार वर्ष से 2018-19 तक घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, पीओआई के भीतर इसके प्रदर्शन में गिरावट आई है, और इस प्रकार, विषयगत देशों से विषय वस्तुओं की डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग कमजोर बना हुआ है। इस प्रकार, ज्यूटी समाप्त होने की स्थिति में चोट लगने की संभावना है।

- iii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि यदि इस स्तर पर प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना को दर्शाती है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी विषय देशों से भारत में विषय वस्तुओं के आयात की पूरी मात्रा घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से नीचे है और विषय देशों के साथ-साथ विषय देशों से तीसरे देशों में भाग लेने वाले उत्पादकों द्वारा निर्यात की महत्वपूर्ण मात्रा घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से नीचे है, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क अस्तित्व में नहीं रहता है तो विषय देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात को भारत में मोड़ने की प्रबल संभावना है।

ड सिफारिश

174. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के पहलुओं पर सूचना देने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में डंपिंग, चोट और कारण संबंधी लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का विचार है कि विषय-वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी जारी रखना आवश्यक है।
175. इन परिस्थितियों के तहत, नामित प्राधिकारी इसे विषय देशों से आयात करने पर डंपिंग रोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझता है। इस प्रकार, प्राधिकरण ने मौजूदा निश्चित एंटी-डंपिंग ड्यूटी को जारी रखने की सिफारिश करने के लिए आवश्यक माना है। 13/2016-कस्टम (एंडीडी) दिनांक 13-04-2016। इसलिए, नीचे दी गई ड्यूटी टेबल के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर एंटी-डंपिंग ड्यूटी, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए जाने वाले अधिसूचना की तारीख से लागू करने की सिफारिश की जाती है, विस्तृत रूप से विषय वस्तुओं के सभी आयातों पर। पांच साल की एक और अवधि के लिए विषय देशों से ड्यूटी टेबल के कॉलम 3 में।

शुल्क तालिका

क्र.स. (1)	उप शीर्ष (2)	वस्तुओं का विवरण (3)	मूल देश (4)	निर्यात का देश (5)	उत्पादक (6)	राशि (7)	माप की इकाई (8)	मुद्रा (9)
1	29051300	सामान्य बुटानोल या एन ब्यूटाइल शराब	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	कोई भी	46.27	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
2	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	46.27	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
3	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	मै. पेट्रोनास केमिकल्स डेरिवेटिव्स एसडीएन. बीएचडी	51.42	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
4	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	मै. बीएसएसएफ पेट्रोनास केमिकल्स एसडीएनबीएचडी	26.59	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

5	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	उपर्युक्त क्र.सं.3 तथा 4 पर दिए गए उत्पादक को छोड़कर कोई भी उत्पादक	149.31	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
6	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	149.31	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
7	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	कोई भी	35.66	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
8	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	सिंगापुर	कोई भी	35.66	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
9	-वही-	-वही-	साउथ अफ्रीका	साउथ अफ्रीका सहित कोई भी देश	कोई भी	13.24	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
10	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	साउथ अफ्रीका	कोई भी	13.24	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
11	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	कोई भी	24.16	मीट्रिक टन	अम.डॉ.
12	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों को छोड़कर कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	24.16	मीट्रिक टन	अम.डॉ.

176. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा-निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।

ढ आगे की प्रक्रिया

177. केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के पश्चात् इन जांच परिणामों के विरुद्ध कोई अपील वर्ष 1995 में यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसरण में सीमा शुल्क उत्पाद और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 30th March, 2021

Case No. AD-SSR-13/2020

Subject : Sunset review investigation concerning imports of “Normal Butanol” from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America.

F. No. 7/29/2020–DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time thereof;

A BACKGROUND OF THE CASE

1. The Andhra Petrochemicals Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant” or “petitioner” or “domestic industry” or “DI”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “ Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or “AD Rules”) for sunset review of anti-dumping duty levied on the imports of Normal Butanol (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America. (hereinafter referred to as the “subject countries”).
2. The applicant has alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the imports of subject goods, originating in or exported from the subject countries.
3. Section 9A(5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
4. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:
"...any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."
5. Based on the substantiated application with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. 7/29/2020-DGTR (AD-SSR-. 13/2020) dated 31st August, 2020 and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is a need for continued imposition of antidumping duty in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
6. Earlier, the Authority initiated an antidumping investigation in respect of imports of Normal Butanol from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and United States of America on 20th November, 2014 and after conducting the investigation recommended imposition of definite duty

vide Final Findings Notification No. 14/4/2013-DGAD dated 19th February, 2016. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 13/2016-Customs (ADD) dated 13th April 2016 for 5 years.

B PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- a. The Authority issued a Notification dated 31st August 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
- b. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules. The time limit to file information was extended first upto 20th October 2020, then upto 10th November 2020 and thereafter a final extension was granted by the Authority upto 24th November 2020.
- c. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- d. The Embassy of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- e. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries, whose details were made available by the applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s Oxea GmbH, Germany.
 - ii. M/s Zak S.A UL, Poland
 - iii. M/s Perstorp Oxo AB, Sweden
 - iv. M/s BASF Lampertheim GmbH, Germany.
 - v. M/s EIF Atochem S.A
 - vi. M/s Arkema Corporation, France
 - vii. M/s Zak Zak Lily, Poland.
 - viii. M/s Petronas Chemicals Derivatives Sdn Bhd, Malaysia
 - ix. M/s Sasol Middle East FZCO, South Africa
 - x. M/s Grupa Azoty Kędzierzyn, Poland.
 - xi. M/s Oltchim S.A., Romania.
 - xii. M/s Gazprom Neftekhim Salavat, Russian Federation
 - xiii. M/s INEOS Oxide (Oxochemie), Belgium
 - xiv. M/s Sibur Khimprom, Austria
 - xv. M/s Dow Optimal Chemicals Sdn. Bhd, Malaysia
 - xvi. M/s Dow Chemical GmbH, Germany
 - xvii. M/s Unipetrol, AS

- xviii. M/s Eastman Chemical, Singapore
- xix. M/s Eastman Chemical Asia Pacific Private Limited, Singapore
- xx. M/s Dow Chemicals, USA
- xxi. M/s Eastman Chemical Company, USA
- xxii. M/s Oxea Corporation
- xxiii. M/s ICC Chemical Corporation, USA
- xxiv. M/s BASF, USA
- xxv. M/s Tex Mark Chemicals, USA
- xxvi. M/s INEOS, USA
- xxvii. M/s Sasol, North America

f. The following producers/exporters have filed questionnaire response: -

- i. M/s Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd., Malaysia and M/s Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd., Malaysia
- ii. M/s BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd. Malaysia

g. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):

- i. M/s. KLJ Plasticizers Limited
- ii. M/s PCL Oil & Solvents Limited
- iii. M/s API Industrial Corporation
- iv. M/s Rachana Plasticizers
- v. M/s Visen Industries Limited
- vi. M/s Micro Inks Private Limited
- vii. M/s Alkyl Amines Chemicals Limited
- viii. M/s Lalitha Chem Industries Private Limited
- ix. M/s Deepak Nitrite Limited
- x. M/s Payal Polyplast Private Limited
- xi. M/s Dorfketal Speciality Private Limited
- xii. M/s Anushakti Chemicals and Drugs Limited
- xiii. M/s C J Shah & Company
- xiv. M/s Ramniklal S Gosalia & Company
- xv. M/s Haresh Petrochem Private Limited
- xvi. M/s Hazel Mercantile Limited
- xvii. M/s Kundan Rice Mills Limited
- xviii. M/s Daga Global Chemicals Limited
- xix. M/s Pon Pure Chemical India Private Limited
- xx. M/s Petrochem Middle East Private Limited
- xxi. M/s KLJ Resources Private Limited

- xxii. M/s Asian Solvochem Private Limited
- xxiii. M/s Yug International Private Limited
- xxiv. M/s Ankita Chemical Corporation Limited
- xxv. M/s Apra Enterprises
- xxvi. M/s Overseas Polymer Private Limited
- xxvii. M/s Ketul Chem Private Limited
- xxviii. M/s Balmukund Chemicals Private Limited
- xxix. M/s Paras Dyes and Chemicals Private Limited
- xxx. M/s Jagriti Plastics Limited
- xxxi. M/s Surabhi Enterprises Private Limited
- xxxii. M/s Sanjay Chemicals Private Limited
- xxxiii. M/s Supreme India International Private Limited
- xxxiv. M/s Buneesha Chem Private Limited
- xxxv. M/s Nutan Chemicals Private Limited
- xxxvi. M/s Plasticchem Industrial Corporation
- xxxvii. M/s Dev Chemicals
- xxxviii. M/s Triveni Chemicals Private Limited
- xxxix. M/s Tulsi Chemicals
- xl. M/s AB Enterprises
- h. The following importer/users have filed questionnaire response: -
 - i. BASF India Limited
 - ii. Payal Polyplast Private Limited
 - iii. KLJ Resources Limited
 - iv. KLJ Plasticizers Limited
- i. Eastman Chemical Company and Indian Plasticizer Manufacturers Association have filed submissions during the course of investigation.
- j. Exporters, foreigner producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, are treated as non-cooperating interested parties.
- k. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- l. The interested parties were asked vide notification dated 31st December 2020, to share the non-confidential version of the responses, submissions and evidence presented by them with the other interested parties.
- m. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from April, 2019 to March, 2020 (POI). The injury investigation period has been considered as the period from April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and April 2018 to March 2019 and period of investigation.

- n. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- o. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 19th February 2021 which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter, if any.
- r. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which would have been formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 16.03.2021 and the interested parties were allowed time upto 23.03.2021 to comment on the same. The comments on Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- s. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded this Final Findings Notification on the basis of the facts available.
- t. *** in this Final Findings Notification represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- u. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs. 71.65

C SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 8. The product under consideration in this investigation is Normal Butanol. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C₄H₉OH. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and flotation aids (Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate.
- 9. The product is classified under Customs Tariff heading No. 29051300. However, the said Customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

C.1 Submissions of the domestic industry

- 10. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
 - i. Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of product under consideration remains the same as in the original investigation.
 - ii. The domestic industry is producing a like article to product under consideration.

C.2 Submissions of other interested parties

11. The other interested parties have not made any submissions with regard to product under consideration and like article.

C.3 Examination by Authority

12. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review is N-Butanol. In the previous investigation, the product under consideration was defined as under and the Authority has considered the same scope of the product under consideration for the present purposes:

The product under consideration is Normal Butanol. Normal Butanol is a primary alcohol with a 4-carbon structure and molecular formula C₄H₉OH. Normal Butanol is an excellent solvent for acid-curable lacquers and baking finishes derived from urea, melamine or phenolic resins. A large part of N-Butanol is converted into derivatives for use as solvents in coating industries and printing inks. Normal Butanol also finds application as extractant in production of drugs and natural substances, additive in polishes and cleaners, solubilizer in the textile industry, additive in deicing fluids, anti-icing additive in gasoline, humectant for cellulose nitrate, feedstock in the production of glycol ethers and flotation aids (Butyl Xanthate) and as starting material for the production of Butyl mono Carboxylates, Butyl Acetate, Butyl butyrate.

13. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry is treated as like article to the product under consideration imported from subject countries.

D SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

14. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1 Submissions of domestic industry

15. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry: -
- Applicant is the sole producer in India.
 - Applicant has not imported the subject goods and is not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject countries or any importer of the dumped article in India.
 - Application satisfies the requirement of the Rules.
 - On the submission that HPCL is also engaged in the production of subject goods, the domestic industry submits that as per the applicant's information HPCL is not engaged in the production and sale of subject goods till POI.

D.2 Submissions of other interested parties

16. Following submissions have been made by other interested parties with regard to standing and scope of the domestic industry:
- Applicant has claimed to be the sole producer. However, HPCL is engaged in the production of subject goods during the POI.

D.3 Examination by the Authority

17. The present application has been filed by M/s The Andhra Petrochemicals Limited. From the information on record, it is noted that HPCL is not engaged in the production or sale of subject goods currently. The applicant is the sole producer in India and has provided relevant information as per the prescribed format. The applicant is eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**E.1 Submissions of domestic industry**

18. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry: -
- a. All the participating producers and exporters have claimed excessive confidentiality in their responses as they fail to comply with the requirements laid down by the Authority.
 - b. Response to most of the questions in the questionnaire have been claimed completely confidential and no meaningful summary has been provided.
 - c. Responding producers and exporters have failed to comply with the requirements of the Trade Notice 10/2018 dated 7th September 2018 and have claimed information available in public domain as confidential.
 - d. Domestic industry has provided detailed reason for every information which has been claimed confidential and contrarily the responding producers and exporters have claimed confidentiality on the ground of business sensitive information.
 - e. Name of source from which capacities in the subject countries has been obtained is provided as a footnote in the application and Trademap data and Eurostat data are part of the non-confidential application.
 - f. All the economic parameters considered by Authority for purpose of arriving at the determination of injury have been provided in non-confidential version in compliance with trade notice 10/2018 dated 7th September 2018.
 - g. KLJ Resources Limited, Payal Polyplast Private Limited and KLJ Plasticizers Limited are consumer of the product under consideration and therefore were required to file User questionnaire response. However, they have filed importer questionnaire response.
 - h. The parties have filed incorrect response as they were clear that providing desired information could create very inconvenient position for them about their contentions of unbearable burden of duty on them.
 - i. Authority is requested to not hold that any argument advanced by the importers without filing the required relevant questionnaire response.
 - j. Anti-dumping duties are necessary because of significant capacity expansions being undertaken in India. In presence of significant dumped imports in market, any producer who would set up capacities would suffer in the market.
 - k. The expansions being undertaken in India will be significant to ensure the demand of the subject goods in India.
 - l. Demand and supply gap does not justify dumping. Producers in the exporting country are free to export their product to the Indian customers.
 - m. Mere fact that importers are forced to pay duties is not a sufficient justification to not protect the domestic market from the dumped imports.
 - n. The goods imported at Mumbai, Delhi and Hyderabad Airport are primarily sampled goods with very insignificant quantity and high price. Since these goods are not traded goods, there is no reason to consider them for the purpose of injury analysis.
 - o. Domestic Industry does not enjoy any premium even when protection was given in the form of applicable duty. The market is influenced by the market suppliers and not the actual producer.

- p. M/s OQ Chemicals GmbH, Germany had participated in the original investigation but failed to respond in the review investigation and therefore shall be treated as non-participating. Also the Authority should recommend only one residual category for all imports from European Union, South Africa, Singapore and United States of America.

E.2 Submissions of other interested parties

19. The other interested parties have made following miscellaneous submissions: -

- a. Domestic industry has resorted to excessive confidentiality as it has not followed the trade notice and not provided confidentiality reasoning.
- b. Source of paid information considered on capacity in the subject countries has not been disclosed by the domestic industry.
- c. The domestic industry has claimed Eurostat and Trademap data as confidential.
- d. Information such as capacity, demand and domestic sales are already in the public domain, yet the information has been claimed confidential.
- e. Importers have to engage in imports since domestic industry is unable to bridge the huge demand supply gap and exporters charge highest prices from Indian buyers. Importers are also forced to pay duty.
- f. Instead of fixed anti-dumping duty, duties can be incorporated on 'trigger price' or 'variable' basis. Imposition of fixed anti-dumping duty gives an unfair and arbitrary protection to domestic industry.
- g. The Annual Reports of the applicant are dubious as same language has been used in them over the years.
- h. Applicant has a history of claiming trade remedial measures as both products are currently attracting anti-dumping duty.
- i. Duties have met their purpose as situation of reasonable profits has been arrived at for domestic industry. Section-9A of the Customs Tariff Act is an exception to the general rule and continuation of duties can be only in cases it is absolutely necessary to give an extended protection based on the strict application of the likelihood test.
- j. The applicant has not provided any justification for exclusions of imports of subject goods landed at Mumbai, Delhi and Hyderabad airport or excluded on the premise that the prices are abnormal.
- k. It is a settled principal as per the case of Kesoram Rayon v. Designated Authority, 2018 (359) ELT 475 (Del.) that a sunset review is not required to be initiated compulsorily.
- l. Eastman has not exported the subject goods during the POI as well as the injury period due to non-remunerative prices offered by the Applicant and other suppliers in Indian market. Even though Eastman has not exported the subject goods during the POI as well as the injury period, the Company is participating in the present investigation, being a known producer/exporter of subject goods listed by the Applicant and thereby constitutes as an interested party in terms of the Anti-dumping Rules.
- m. Since Eastman has not exported the subject goods, it is understood that the Authority cannot determine the individual rate of duty. However, it should be noted and recorded in the Final Findings by the Authority that Eastman has not exported the subject goods during the POI and, therefore, eligible to file a new shipper review application (as and when required) for determination of the individual rate of duty in terms of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 23 of the Anti-dumping Rules.
- n. The Applicant has a history of availing trade remedial measures on Ethyl Hexanol as well as the Normal Butanol over the last twenty-three years. Therefore, it is inconceivable that a foreign producer and/or exporter can continue to dump goods to India for such a long duration and continue suffering losses in revenue.
- o. As per the annual report of the Domestic Industry for the POI, it is noted that the company has been able to sell subject goods to the extent of 98.5 percent of the total production. KLJR is only an importer and has filed the response in the correct IQR format as prescribed by the Authority.

- p. The claims of upcoming capacities have been declined by the Authority in cases like Melamine.

E.3 Examination by the Authority

20. Submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed accordingly. The Authority notes that the information provided by all the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. All interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.
21. The Authority notes that domestic industry and other interested parties have provided non-confidential version of all the information that is relevant for the purpose of present investigation.
22. The Authority notes that the current investigation was initiated on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the Applicant. Therefore, the claim that the application does not satisfy the requirement of the law is incorrect.
23. On the submission that there is a demand and supply gap in India which is the reason for increase in imports, the Authority notes that the ground for seeking extension of antidumping duty is not import per se, but the price at which import has been made and its effect on the domestic industry in respect of its parameters such as selling price, profits, cash profits and return on investment. Imposition of anti-dumping duty provides a level playing field and does not prevent fair competition in the market.
24. The interested parties have claimed that the extension of duties will have an adverse impact on the downstream industry. The domestic industry has provided information with respect to revenue and profits of users including users other than those which are participating in the present investigation. It is seen that the profits of the revenue and the profits of the users have increased over the years which shows that the users have not been impacted by the anti-dumping duty. The interested parties have not provided any calculations or evidence to support the submission and show adverse impact.
25. As regards the contention of the parties about the form of duty, the Authority notes that as per the Rules, the mandate of the Authority is to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry. The Authority has determined the form of duty after evaluating all facts relevant for the present investigation.
26. As regards the submission on extension of duties, Authority notes that as per Rule 23 of Rules and Section (A) of the Act, there is no restriction on the period for which the duty can be imposed. The only condition necessary for extension of duties is whether cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The anti-dumping duty can be extended for a period as long as necessary to counteract dumping or likely dumping causing injury or likely to cause injury.

F DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

F.1 Normal Value

27. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
- i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting countries or territory as determined in accordance both the rules made under sub-section (6); or*
 - ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting countries or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting countries or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting countries or territory or an appropriate third countries as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

- b. *the cost of production of the said article in the countries of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a countries other than the countries of origin and where the article has been merely transhipped through the countries of export or such article is not produced in the countries of export or there is no comparable price in the countries of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the countries of origin.

F.2 Submissions of domestic industry

28. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows: -
- Prices of producers are confidential information and hence are not available in the public domain.
 - Significant variation in the export prices from the subject countries to different countries makes the export prices unreliable for considering as normal value.
 - Producers in the subject countries are dumping production in global market and exports are not reliable and may not be a true reflective of the normal value.
 - Normal value can be derived on the basis of estimates of cost of production.
 - Claims of dumping from Singapore and United States of America are unchallenged as there is no participation from the countries.
 - Continued dumping when duties are imposed itself establishes likelihood of dumping in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - Prices of both Propylene and Naphtha have declined in the period of investigation but the landed price has declined sharply. The foreign producers do not keep their prices in tandem with the input prices and resort to dumping.
 - On the submission of considering trade journals, CESTAT decision on prices published in trade journals expressly talks about consideration of trade journals under Rule 6(8) for the purpose of issuance of final finding by the Authority. The CESTAT decision does not bar on domestic industry to rely on prices in trade journal for determination of normal value.
 - Exports to third countries also appear to be priced below estimates of cost of production and the producers in the subject countries are dumping their products in the other markets.
 - The adjustments claimed in the export price are based on estimates and as per consistent practice of the Authority.

F.3 Submissions of other interested parties

29. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows: -
- Contention of domestic industry that exporters should establish there is no likelihood of continued dumping is deprived of merit.
 - It cannot be stated that the subject countries are dumping in other countries unless export price in other countries is compared with normal value in the said exporting country.
 - Domestic industry has resorted to zeroing by only relying on exports which are allegedly dumped. Such an approach is contrary to WTO principles as per the panel in EC- Bed linen and US-Zeroing (EC) case.
 - Applicant has not provided any evidence for claiming deductions on the export price.
 - As per decision in case of Secretary (Revenue), GOI vs. Dyestuffs Manufacturers Association of India which was also affirmed by the Hon'ble Supreme Court of India, Authority cannot rely on the price published in the trade journals.

- f. As per Designated Authority v. M/s Haldor Topsoe, normal value is required to be determined on a sequential order. While the information regarding export price from the subject countries is available, the applicant has still has not relied on it.
- g. The methodology provided by the Domestic Industry for segregation of DGCI&S import data has excluded the imports of subject goods landed at Mumbai, Delhi, and Hyderabad Airport, also the basis to categorize certain import transactions as abnormal product under consideration or abnormal rate has not been explained.
- h. It is unclear from the table showing exports below Indian prices and normal value that for which time period such data has been produced.
- i. Dumping margin and injury margin should be determined based on the exporter questionnaire responses filed by the producer Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd. and the exporter Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd.

F.4 Examination by Authority

30. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response: -
- a. M/s Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Limited, Malaysia and Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd., Malaysia.
 - b. M/s BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia.

F.4.1 Normal value and export price determination for European Union

31. None of the producers/ exporters from European Union has participated in the investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has determined normal value on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin @ 5%. The normal value so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.
32. Export price has been determined on the basis of facts available. For the purpose, information provided by the DGCI&S has been considered. Further, price adjustments have been carried out on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.

F.4.2 Normal value and export price determination for Malaysia

i. BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia

33. BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd., Malaysia (BPC) is a Malaysian based joint venture between BASF SE, Germany and Petroliam Nasional Berhad (Petronas), Malaysia, under its subsidiary Petronas Chemicals Group (PCG).

Normal value

34. Based on the information furnished in the EQ responses, the Authority notes that BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd. (hereinafter referred to as "BASF / Exporter") is a producer of the subject goods. The exporter has exported the subject goods in the Indian market to its related company, namely, BASF India Ltd., which has also filed the questionnaire response.
35. It is noted that the exporter has not sold the subject goods in the domestic home market during the POI. The exporter has claimed normal value based on its cost of production. The Authority notes that in a situation where there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country, the normal value shall be either comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits. The Authority has therefore considered it appropriate to determine normal value in the present case on the basis of cost of

production data furnished by the exporter plus a reasonable profit margin and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export price

36. It is noted that BASF exported *** MT of the subject goods to India during the POI. The Authority has verified the responses of exporter and BASF India Ltd. BASF, Malaysia has claimed adjustment on accounts of ocean freight, insurance, inland transportation, credit cost, bank charges and the same have been allowed by the Authority.
37. It is noted from the response that producer/exporter has exported *** MT to India through its related entity namely M/s BASF India to customers in India. From the response filed by related importer, it is seen that the sales made by importer shows losses and therefore, the Authority has made appropriate adjustment on account of SGA expenses incurred by related importer, in arriving at ex-factory export price. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the dumping margin table below.

ii. Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Limited, Malaysia and Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd., Malaysia

38. A joint response has been filed by Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Limited (PCML) and Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd. (PCD). During the period of investigation, PCD is the producer in Malaysia and PCML is engaged in procuring all the raw materials for production of PUC and getting the PUC manufactured under the tolling arrangement with PCD. PCML finally sells the manufactured PUC in domestic and export markets. Earlier PCD was buying all raw materials and manufacturing the PUC on its own account. Hence, it was the full-scale manufacturer of PUC. After manufacture, it sold the PUC directly / indirectly through another related entity PETRONAS Chemicals Marketing Sdn. Bhd. ('PCMSB') to domestic and export markets. With effect from April 2018, PCML procures the raw materials and gets its product manufactured from the related affiliate company on the basis of a tolling arrangement on payment of a tolling fee.

Normal value

39. During the POI, PCML has sold *** MT of the subject goods for *** US\$ in the domestic market to related and unrelated parties. The domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of subject goods. The Authority noted that if profit making transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are being considered for the determination of normal value and in cases profit making transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are being taken into consideration for the determination of the normal value. Accordingly, normal value at ex-factory level for PCD has been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export price

40. It is noted that PCML exported *** MT of the subject goods produced by PCD to India during the POI. For arriving at the ex-factory export price, the Authority has considered the expenses incurred by the exporter. Accordingly, adjustments on account of bank charges, ocean freight, port and related expenses and credit cost have been adjusted from the invoice price. Accordingly, the ex-factory export price is calculated and mentioned in the Dumping Margin Table below.

iii. Other producers

41. The normal value and export price for all other non-cooperating producers and exporters of Malaysia is determined as per facts available considering the data provided by cooperating producer and same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

F.4.3 Normal value and export price determination for Singapore

42. None of the producers/exporters from Singapore has participated in the investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has determined the normal value on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin @ 5%. The normal value so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.

43. Export price has been determined on the basis of facts available. For the purpose, information provided by the DGCI&S is considered. Further, price adjustments have been carried out on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.

F.4.4 Normal value and export price determination for South Africa

44. None of the producers/ exporters from South Africa has cooperated in the investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has determined the normal value on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin @ 5%. The normal value so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.
45. Export price has been determined on the basis of facts available. For the purpose, information provided by the DGCI&S is considered. Further, price adjustments have been carried out on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.

F.4.5 Normal value and export price determination for United States of America

46. Eastman Chemical Company, producer from USA filed injury submission only, however, the exporters questionnaire response was not filed since it has not exported the subject goods during the POI and injury period. Barring Eastman Chemical Company, none of the producers/ exporters from United States of America has participated in the investigation. Accordingly, the normal value is determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has determined normal value on the basis of best estimates of cost of production of the subject goods, duly adjusted for selling, general & administrative expenses, with the addition of reasonable profit margin @ 5%. The normal value so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.
47. Export price has been determined on the basis of facts available. For the purpose, information provided by the DGCI&S is considered. Further, price adjustments have been carried out on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission on the basis of facts available. The ex-factory export price so determined is mentioned in the Dumping Margin Table below.

F.4.6 Calculation of dumping margin

48. The normal value, ex-factory export price and dumping margin determined in the present investigation for all the subject countries are as follows: -

Dumping Margin Table

SN	Particulars	Normal Value (USD/MT)	Export price (USD/MT)	Dumping margin (USD/MT)	Dumping margin - %	Dumping margin - range
1	European Union	***	***	***	***	20-30
2	Malaysia					
a	M/s BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	***	***	***	***	0-10
b	Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.	***	***	***	***	30-40
c	Any other	***	***	***	***	30-40
4	South Africa	***	***	***	***	30-40
5	Singapore	***	***	***	***	10-20
6	United States of America	***	***	***	***	30-40

49. It is seen that the dumping margin is positive in respect of both the cooperating producers/exporters from Malaysia. Further, dumping margin is positive in respect of other subject countries.

G METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

50. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
51. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

G.1 Submissions of domestic industry

52. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced herein below: -
- a. Imports in relation to production declined till 2018-19 and have increased sharply in the proposed period of investigation.
 - b. Imports in relation to consumption and in total imports from the subject countries have increased over the injury period.
 - c. Landed price of imports is below the selling price of the domestic industry.
 - d. Imports from European Union occurred only in the month of May 2019 and comparison of imports prices with domestic industry selling price for that month would show that the imports are undercutting the prices of domestic industry.
 - e. Domestic prices have moved in tandem with the import prices and imports have resulted in price depression.
 - f. Market share of domestic industry increased till 2018-19 but declined in the period of investigation whereas that of imports from the subject countries have increased continuously.
 - g. Performance of domestic industry improved till 2018-19 as the landed price of the imports increased.
 - h. Profits of the domestic industry increased upto 2018-19 when it was recovering from the ill-effects of dumping.
 - i. Cash profits and the return on investment have also been impacted in the period of investigation.
 - j. Inventory with the domestic industry reduced till 2018-19 but increased sharply thereafter in the period of investigation.
 - k. Domestic industry showed signs of positive growth upto the previous year in various parameters but growth has become negative in both volume and price parameters in the period of investigation.
 - l. Cessation of the anti-dumping duties is likely to jeopardize any future plans of capacity expansion despite there being opportunity to enhance its capacity due to huge demand for the subject goods in the country.
 - m. Landed price of imports has significantly declined in the period of investigation and is much below the selling price and cost of sales of the domestic industry. The decline is far more than the decline in the raw material costs.

- n. Decline in production and sales of the domestic industry can be attributed to the lack of availability of raw material but decline in profits, cash profits and ROI is primarily due to price decline far steeper than cost decline.
- o. Fact of low production on account of shortage of raw material is evident from Q-15 and the Annual Report of the company. Both were filed with the application.
- p. Only reason as to why there has been no capacity expansion is because of the inadequate profits earned over last 10 years as import prices have continuously remained below the selling price and the cost of sales.
- q. Domestic industry's prices are determined by import prices and raw material prices. With increase in import prices and decline in volume in 2018-19, domestic industry was able to raise its prices to an optimum level.
- r. 2018-19 happens to be the period where the impact of dumped imports in the domestic market was negligible and the same period should be used as benchmark for analysing the performance of the domestic industry.
- s. Claimed methodology of considering low priced imports for injury analysis has been approved by Hon'ble Supreme Court of India and WTO in matter of European Communities – Anti-Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings from Brazil.
- t. Domestic industry is claiming injury from the low-priced imports only. There are significant exports from the countries which are priced below the fair selling price and net selling price of domestic industry.

SN	Particulars	Imports below NSR (MT)	Total Imports (MT)	Share of imports below NSR
1.	European Union	3,000	3,000	100%
2.	Malaysia	8,235	8,235	100%
3.	Singapore	8,986	8,986	100%
4.	South Africa	10,362	13,431	77%
5.	USA	12,560	12,593	100%

Source: DGCI&S Data

- u. The production of the PUC depends upon the availability of raw materials. One of the raw materials (i.e., propylene) cannot be transported easily and hence has to be taken from the next-door plant. The Domestic Industry depends upon Hindustan Petroleum Corporation Ltd. ('HPCL') (a public sector undertaking in India) for securing propylene. In view of the same, volume injury has not been claimed by the Domestic Industry.
- v. There is no reason to exclude 2018-19 from the injury analysis. Rather, 2018-19 happens to be the period where the impact of dumped imports in the domestic market was negligible and the same period should be used as benchmark for analysing the performance of the domestic industry. It is indeed surprising that the foreign producers are now contending that their prices were abnormal. If foreign producers were aware that these were abnormal prices, why did they even charge these prices?
- w. The supply of propylene happens mostly through pipelines. It is for this reason that almost all the producers globally have propylene suppliers nearby their oxo-alcohol plants. While the product can be transported through other ways as well, the cost of transport is very high which makes it uneconomical for the domestic industry. The propylene price of HPCL is mostly based on international LPG price and to a certain extent on Crude Oil Price.
- x. In the event of drastic fall in prices of raw material, the duties will get levied even on undumped imports. Similarly, if the price of raw material increase, the producers will still be able to dump without paying duties. Such being the case, imposition of duty on trigger price basis will not serve the purpose for both domestic industry and the users. Although the product can be transported through other ways as well, the cost of transport is very high which makes it uneconomical for the domestic industry.

G.2 Submissions of other interested parties

53. The submissions of the other interested parties with regard to injury and causal link are reproduced herein below:

- a. Plant of domestic industry was shut down in Quarter 4 and the imports were necessary to meet the increasing demand.
- b. There is negative price undercutting throughout the injury period which shows that there was no adverse price-effect caused by imports.
- c. Domestic industry has recorded an overall robust performance in all key parameters such as profits, cash profits, ROCE, etc.
- d. Domestic industry is not suffering from price suppression or depression due to subject imports. Positive and high rate of increase in PBIT per unit shows that the selling price is much above the cost of sales.
- e. Fall in price of subject goods is due to fall in price of Naptha and Propylene witnessed in the global market. The applicant was forced to reduce its prices due to decline in global price of imports.
- f. Domestic industry has concealed information with regard to shortage of raw material which impacted the production.
- g. Imports from USA were only in six months in the period of investigation and injury analysis shall be only on quarterly or monthly basis.
- h. Imports from Malaysia cannot be culminated as they have declined continuously and their prices are also significantly high.
- i. Domestic industry has not expanded its capacity inspite of increasing demand in the country.
- j. Performance of the domestic industry is solely determined on supply of raw material and not on the existence or absence of anti-dumping duties.
- k. There was a significant drop in raw material prices in the second quarter of 2018-19 and surge in prices of the subject goods due to stringent supply of the subject goods in the Q3 and Q4. Therefore, data for 2018-19 is required to be ignored as they are outliers. Mere analysis of the year 2018-19 with period of investigation does not give a correct picture.
- l. The performance in the product does not show injury as the demand has increased and the overall feasibility of the Indian market is positive with BPCL commissioning an Oxo-Alcohol plant.
- m. Production of the domestic industry was stalled for 7 months due to unviability of raw material.
- n. Domestic industry made super abnormal profits in the earlier years and the profits have only normalized in the period of investigation.
- o. Trend in the selling price of domestic industry and landed price of subject goods from subject countries is virtually identical and there is no impact of the landed price on the selling price of the domestic industry.
- p. The increase in the volume of imports during the period of investigation was purely on account of the huge demand-supply gap in the country.
- q. On perusal of data reported in the Annual Reports, the data submitted on production and capacity utilisation in the non- confidential application is incorrect and misleading.
- r. Domestic industry has been able to sell majority of its production and, therefore, they are not facing any issues in selling its production.
- s. Rule 11 is mutatis mutandis applicable in the case of sunset review. Therefore, it is compulsory to establish causal link between the alleged dumping and injury.
- t. Injury to the domestic industry is due to absence of backward integration in its plant and inherent cost advantage due to use of Naptha instead of natural gas, shut down of plant and high prices of Naptha.

- u. Authority should examine status of various other issues which had a bearing on performance of domestic industry in the past such as procurement and pricing of raw material at high prices and increased imports from non-subject countries.
- v. Domestic industry has made no mention of the propylene pricing and leeway they have in its pricing. The raw material supply is inconsistent and is at prices which are not linked to compete with international prices of the raw material.
- w. Domestic industry is over dependent on HPCL for raw material while there are other producers of Propylene in India. It has intentionally not sourced the raw material and the claim that Propylene cannot be 'easily transported' is erroneous.
- x. Month wise inventory needs to be examined as the subject goods are a liquid product and as such inventories are managed at lower levels but can be filled up in tanks in the interim to perpetuate speculation.
- y. Therefore, either a fixed quota be imposed or in the alternative, duty be imposed on the margin of the injury, i.e., on the difference between the landed price and the NIP.
- z. M/s Petronas Chemicals Derivatives SDN Bhd. And M/s Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd., maintain a minimal level of inventory depending upon the demand for the product, they have not exported any quantities of PUC to India in the Post-POI period (April 2020-September 2020).
- aa. The injury suffered by domestic industry is purely on account of their own insufficiency, managerial decisions as well as other factors beyond the alleged dumping by the subject countries.
- bb. There is no negative effect with respect to "cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments" as all such parameters have seen consistent improvement in the injury investigation period. This increase in wages and salary has been unaccounted for by the Domestic Industry.
- cc. In terms of Anti-dumping agreement as well as the Anti-dumping rules, price injury itself is not the determinative factor while assessing the need for imposition of the duties or continuation of duties. It is an admitted fact that the Domestic Industry is not suffering any volume injury.
- dd. Dumping has two components, viz., normal value and export price. It cannot be stated that the subject countries are dumping in other countries unless the export price in the other countries is compared with the computed normal value in the said exporting country. It is reiterated that no such exercise has been carried out by the Domestic Industry.
- ee. The Domestic Industry itself agreed during the hearing that Financial Year 2018-19 has shown abnormal performance indicators. Thus, the same is liable to be excluded for proper comparison in the instant investigation.
- ff. The proposed addition to capacities in India is a clear indicator of the healthy outlook of the industry.

G.3 Examination by Authority

- 54. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products. The Authority has examined the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.
- 55. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.

56. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority has considered all injury parameters and, thereafter, concludes whether injury to the domestic industry continues, or recur, in case the antidumping duty is ceased. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
57. As regards the submission that the Domestic Industry's costs are higher as its plant is not backward integrated or it is dependent on sole supplier for its raw material, it is noted that it is a well settled stand of the Authority that the domestic industry is required to be seen as it exists and not operating under ideal conditions (*Nippon Zeon Co. Ltd. v. Designated Authority*, 1997(96) ELT 126(Tri)).
58. On the submission that the decline in prices is due to change in global market supply, it is seen that the fall in import price in the period of investigation is more than the fall in price of raw material.
59. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other interested parties on injury and causal link and analysed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding preceding paras ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

F.3.1 Assessment of demand

60. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources.

SN	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Imports from subject countries	MT	28,184	33,521	35,377	46,245
2	Imports from other countries	MT	27,541	20,034	13,403	12,379
3	Domestic sales of applicant	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	163	191	142
4	Total demand/consumption	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	107	105	111

61. It is seen that the demand of the subject goods increased in 2017-18, declined marginally in 2018-19 and then again increased in the period of investigation. Demand of the subject goods has increased over the injury period.

F.3.2 Volume effect of dumped imports.

i. Import volume and share of subject countries.

62. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority.

SN	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Subject countries	MT	28,184	33,521	35,377	46,245
a	European Union	MT	1,000	2,271	2,026	3,000
b	Malaysia	MT	17,259	13,516	12,957	8,235
c	Singapore	MT	2,951	9,971	11,954	8,986
d	South Africa	MT	6,901	7,677	7,875	13,431
e	USA	MT	73	87	565	12,593
2	Other countries	MT	27,541	20,034	13,403	12,379
3	Total	MT	55,726	53,555	48,780	58,625
4	Subject countries import in relation to-					
a	Indian Production	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	85	72	125

b	Demand	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	119	147
c	Total Imports	%	51%	63%	72%	79%

63. It is seen that the volume of dumped imports of subject goods increased consistently over the injury period in absolute terms. Whereas imports from subject countries increased consistently, imports from rest of the world declined consistently. Imports from the subject countries have increased in the period of investigation in absolute terms as well as in relation to production, consumption and total imports. The Authority notes that there was a curtailment of production by the domestic industry due to short supply of key raw material.

F.3.3 Price effect of dumped imports.

64. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

a. Price undercutting

65. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at ex-factory level.

SN	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***
2	Subject Countries as a whole					
a	Landed Price	₹/MT	48,530	59,746	73,795	59,146
b	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
3	European Union					
a	Landed Price	₹/MT	52,585	66,853	75,988	64,593
b	Price Undercutting	₹/MT	(***)	(***)	(***)	(***)
c	Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	(***)
d	Price Undercutting	Range	(0-10) %	(0-10) %	(0-10) %	(0-10) %
4	Malaysia					
a	Landed Price	₹/MT	48,087	59,651	72,748	59,040
b	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
5	Singapore					
a	Landed Price	₹/MT	50,325	57,328	74,190	59,295
b	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
6	South Africa					
a	Landed Price	₹/MT	47,190	59,610	74,067	59,188
b	Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***

c	Price Undercutting	%	***	***	***	***
d	Price Undercutting	Range	0-10%	0-10%	0-10%	0-10%
7	USA					
a	Landed Price	₹/MT	1,51,368	1,78,169	77,778	57,764
b	Price Undercutting	₹/MT	(***)	(***)	(***)	***
c	Price Undercutting	%	(***)	(***)	(***)	***
D	Price Undercutting	Range	(60-70) %	(60-70) %	(0-10) %	10-20%

66. It is seen that price undercutting in respect of all the subject countries as a whole is positive, and individually, in the case of European Union it is marginally negative and for remaining subject countries it is positive.

b. Price Suppression/Depression

67. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority examined the changes in the costs and prices over the injury period and compared the same with the landed price of imports.

SN	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>115</i>	<i>113</i>
2	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>147</i>	<i>127</i>
3	Landed Price	₹/MT	48,530	59,746	73,795	59,146
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>123</i>	<i>152</i>	<i>122</i>

68. It is seen that the cost of sales and selling price of domestic industry and landed price of imports increased till 2018-19, and the quantum of increase in landed price of imports and selling price of the domestic industry was higher than the quantum of increase in cost of the domestic industry. However, in the period of investigation, cost of sales and selling price of the domestic industry and landed price of imports have declined. Further, decline in landed price of imports is far higher than decline in selling price and cost of sales of the domestic industry. It is thus seen that the domestic industry is keeping its prices in accordance with the import price and imports from subject countries have significantly depressed the prices of the domestic industry in the period of investigation.

c. Price underselling

69. The Authority further examined the Non-Injurious Price (NIP) and landed value of imports during the POI.

SN	Country	NIP	Landed Value	Underselling	Underselling	Underselling
		Rs./MT	Rs./MT	Rs./MT	%	Range
1	European Union	***	64,593	***	***	0-10
2	Malaysia	***	59,040	***	***	10-20
3	Singapore	***	59,295	***	***	10-20
4	South Africa	***	59,188	***	***	10-20
5	USA	***	57,764	***	***	10-20

70. It is seen that price underselling is positive in case of all the subject countries.

F.3.3 Impact on economic parameters of the domestic industry

71. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic

factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

72. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	101	101
2	Production	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	139	174	131
3	Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	138	172	130
4	Domestic sales	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	163	191	142

73. It is seen that:

a. The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has increased till 2018-19 but declined in the period of investigation.

b. The domestic industry has operated with idle capacities throughout the injury period.

b. Market share of the domestic industry in demand.

74. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	152	182	128
2	Imports from Subject Countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	119	147
3	Imports from Other Countries	%	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	68	46	40

75. It is seen that market share of the domestic industry increased till 2018-19 but declined in the period of investigation. Share of imports from subject countries has increased continuously over the injury period. The Authority notes that the decline in the market share of the domestic industry is also due to lower production on account of short supply of key raw material.

c. Inventories

76. Average inventory with the domestic industry has been examined.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Average inventory	MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	103	24	43

77. It is seen that the average inventory level of the domestic industry increased marginally in 2017-18, declined in 2018-19 and increased in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment.

78. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	101	115	113
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	121	147	127
3	Profit / Loss (PBT)	₹/MT	(***)	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	157	288	56
4	Profit / Loss (PBT)	₹ Lacs	(***)	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	256	550	80
5	Cash profits	₹ Lacs	(***)	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	900	1,750	530
6	Profit before Interest & Tax (PBIT)	₹ Lacs	(***)	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	741	1,394	202
7	Profit before Depreciation, Interest & Tax (PBDIT)	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	1,785	3,135	929
8	Return on capital employed	%	(***)	***	***	***
	Trend	Indexed	(100)	645	1,084	173

79. Authority has examined the profitability of the domestic industry over the injury period. It is seen that:

- Domestic Industry was in losses in the base year and its profitability increased thereafter. The profits increased till 2018-19. However, the profits have declined in the period of investigation.
- Whereas the landed prices were below the cost of sales in the base year, the same were higher in the subsequent two years. In the period of investigation, the landed price of imports was again below the cost of sales. The applicant claims that since the domestic industry is pricing its product in comparison to import price, it was facing financial losses in 2016-17 and was able to earn and thereafter improve its profits in 2017-18 and 2018-19 with the increase in the landed price of imports beyond the increase in costs. However, significant decline in the import price in the period of investigation far beyond the decline in cost of sales has led to significant decline in the profits in the period of investigation.
- Cash profits show the same trend as that of profits. Domestic industry was in cash losses in the base year but its cash profits increased thereafter. The cash profits increased till 2018-19 and declined sharply in the period of investigation.
- Domestic industry had negative ROI in the base year. The same improved thereafter till 2018-19.
- The interested parties have submitted that the profits of the domestic industry have increased significantly in 2018-19. It is however seen that the selling price of the domestic industry shows the pattern as is seen in the imports. The import price increased significantly in 2017-18 and 2018-19, far beyond the increase in cost of sales. It is also seen that profits of the domestic industry have declined sharply in period of investigation as compared to 2018-19 and 2017-18.

e. Employment, wages and productivity

80. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

SN	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	No of employees	Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	105	113	113
2	Salary & wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	111	122	270
3	Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	139	174	131
4	Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Trend	Indexed	100	133	153	116

81. It is seen that employment levels and wages of domestic industry have increased over the injury period. The productivity of the domestic industry increased till the preceding year but declined in the period of investigation.

f. Growth

82. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below—

SN	Particulars	UOM	2017-18	2018-19	POI
1	Production	Y/Y	39%	25%	-24%
2	Domestic Sales	Y/Y	63%	17%	-26%
3	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	257%	83%	-80%
4	Inventory	Y/Y	3%	-77%	77%
5	Market Share	Y/Y	52%	20%	-30%
6	Profit/(Loss) in Rs Lakhs	Y/Y	356%	115%	-85%
7	Cash Profit in Rs Lakhs	Y/Y	1000%	94%	-70%
8	PBIT in Rs Lakhs	Y/Y	841%	88%	-86%
9	ROI %	Y/Y	745%	68%	-84%

83. It is seen that while the growth of the domestic industry was positive in 2017-18 and 2018-19, the domestic industry has recorded a negative growth in the period of investigation.

g. Magnitude of dumping

84. It is seen that the dumping margin in the imports from the subject countries is positive.

h. Ability to raise fresh investment

85. The applicant has submitted that the profitability of the domestic industry has been impacted by dumped imports in past and considering the significant capital investment being undertaken in the country by various producers, protection against the dumped imports is necessary.

i. Factors affecting domestic prices

86. It is seen that there is significant percentage of the dumped imports that are preventing the domestic industry from increasing its prices.

j. Observations on injury

87. Considering various parameters relating to material injury, it is seen that overall performance of the domestic industry improved significantly till 2018-19 and deteriorated in the period of investigation.

The volume of subject imports increased significantly in absolute terms and in relation to production & consumption in India. The domestic industry was operating with idle capacity over the injury period. However, in the period of investigation, the domestic industry faced some raw material supply constraints from HPCL, leading to curtailed production. The Authority has thus considered that the deterioration in production, capacity utilization, sales and market share in the POI is not fully due to imports and is substantially due to curtailed production as a result of input unavailability. In the earlier years, the import prices and consequently selling price of the domestic industry increased more than increase in the cost of sales. However, in the period of investigation import prices and consequently selling price of the domestic industry declined far disproportionately when compared with the costs. Resultantly, profits, cash profits and ROI of the domestic industry improved till 2018-19 and the same declined sharply in the period of investigation.

k. Magnitude of injury margin

88. The Authority has determined the NIP for the Domestic Industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practising accountant for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

89. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

SN	Particulars	NIP	Landed price	Injury margin	Injury margin	Injury margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	%	range
1	European Union	***	***	***	***	0-10
2	Malaysia					
a	M/s BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	***	***	***	***	20-30
b	Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.	***	***	***	***	20-30
c	Any other	***	***	***	***	30-40
4	South Africa	***	***	***	***	10-20
5	Singapore	***	***	***	***	10-20
6	United States of America	***	***	***	***	10-20

H CAUSAL LINK

90. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third country

91. The volume of imports above di-minimis limits are from Taiwan and United Arab Emirates and are at prices which are at same level as compared to price of imports from subject countries. However, the present investigation being a sunset review investigation, the scope of subject countries cannot be expanded. Further, the import volumes from other countries have shown a decline over the injury period, whereas import volumes from the subject countries have shown an increase.

b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

92. Demand of the subject goods has increased as compared to base year. The demand declined marginally in the year 2018-19 but increased again in the period of investigation. However, the capacity of the domestic industry is significantly below the demand in India. Therefore, changes in demand could not have contributed to the injury to the domestic industry.

c. Development of Technology

93. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a possible factor of injury.

d. Trade restrictive practices

94. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance

95. The domestic industry is not into export operations and, therefore, it cannot be a cause of injury.

f. Performance of other products

96. The Authority has considered segregated data only relating to performance of the product under consideration. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry in this investigation.

I LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

97. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

I.1. Submissions by domestic industry

98. The submissions of the domestic industry with regard to likelihood of injury are herein below: -
- Significant exports from subject countries to other countries are at prices lower than prices prevailing in the Indian market and, therefore, expiry of duties will provide them an opportunity to divert their exports to India in order to maximise profits.
 - Significant exports to third countries are at dumped and injurious prices. Cessation of duties will allow these producers to divert their exports to India.
 - India is an important market for the producers in the subject countries, as established by the share of exports to India in overall exports from these countries.
 - Capacities in the subject countries are higher than domestic demand forcing these producers to look for markets outside domestic market.
 - China PR was a primary market for these producers but with significant capacities coming up in China, exports from these countries to China have declined sharply.
 - China PR has imposed anti-dumping duty on the imports of subject goods from Malaysia and United States of America.
 - Brazil has also extended anti-dumping duty on imports from United States of America and has imposed duty on imports from South Africa.
 - Price undercutting even after considering anti-dumping duty is positive.
 - Over the years, imports from subject countries have held a significant share in the market.

- j. Exporters from subject countries should establish on the basis of their information that dumping is unlikely to continue, intensify or recur in the event of cessation of anti-dumping duties.
- k. Significant exports have been made at prices below the selling price and non-injurious price of the domestic industry.
- l. The post period of investigation till May, 2020 was affected by COVID-19 as a nation-wide lockdown imposed in March, 2020. Performance in the post period of investigation is likely to be representative of country wide lockdown in India.

I.2 Submissions by other interested parties

99. The submissions of the other interested parties with regard to likelihood of injury are reproduced herein below: -
- a. Domestic industry is required to establish that there are freely disposable capacities that can be diverted into India.
 - b. Domestic industry is required to prove that there is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in event of cessation of duty which cannot be shifted to exporters. Contention that exporter should establish no likelihood of continued dumping is deprived of merit.
 - c. Data for the post period investigation is required to be examined. In sunset review of Viscose Filament Yarn from China PR, Authority noted that likelihood of injury cannot be established as post period of investigation data was not provided.
 - d. Facts of the case are similar to Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Digital Offset Printing Plates from China PR where the Authority recommended discontinuation of anti-dumping duty levied on product under consideration.
 - e. Performance of the domestic industry has improved significantly in the post period of investigation.
 - f. Malaysia cannot be set to be dependent on India as only 13% exports of total exports from Malaysia are to India.
 - g. The volume of imports from Malaysia has continuously decreased from 17,259 MT in 2016-17 to 8,235 MT in the POI. Malaysian imports should not be cumulated and there is no significant rate of increase of dumped imports as per paragraph (vii) of Annexure II of the AD Rules. Imports from other major countries (Taiwan and UAE) which are not even being investigated was high in comparison to Malaysia. There is no likelihood of injury to the domestic industry from Malaysia.
 - h. Mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish likelihood or recurrence of injury.
 - i. Respondents have no reason to shift the exports to India since the producers already now have established market in third countries.
 - j. Comparison of capacities with average exports of last 10 years cannot clearly demonstrate that there are excessive capacities.
 - k. Applicant has not provided any information on the parameters listed para (vii) Annexure II of the Rules. As per decision of Hon'ble Gujarat High Court in case of Nirma Limited vs. Union of India, threat parameters are mandatorily required to be examined in case of sunset review.
 - l. "Surplus" refers to idle capacities left over after meeting domestic demand and global demand. Average exports of countries in the last 10 years cannot clearly demonstrate that there are excessive capacities with the producers.
 - m. In the matter of Plain Gypsum Plaster Board from China RP, Indonesia, Thailand and United Arab Emirates, none of the interested parties had provided verifiable evidence and information with regard to existing surplus capacities, and consequent likelihood of increased dumped exports to Indian market and, therefore, the claim was disregarded.

- n. In the matter of Indian Spinners Association vs Designated Authority, Tribunal held that the existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.
- o. Since the duty has been in force for 5 years, respondents have already found alternative markets for exporting the product under consideration and had made arrangements contractual or otherwise with the importers or users in those third countries. There is no incentive to shift to India.
- p. The determination/examination for undertaking likelihood analysis should be based on Post POI data, as also held in recently concluded anti-dumping investigation concerning imports of Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel originating in or exported from China PR.

I.3. Examination by Authority

100. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
101. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from European Union, Malaysia, Singapore, South Africa and the United States of America. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.
102. In accordance with the practice of the Authority, the third country exports have been examined to see the pricing behaviour of the producers in the subject countries. Further, the Authority has also examined if the exports to other countries are at prices injurious to the domestic industry and at prices below the Indian prices to examine the likely increase in imports to India in event of cessation of duties.
103. The Authority has not conducted any examination of the post period of investigation data as the same has been impacted by shutdown caused by the Covid-19 situation, and also because the current volume of imports in itself is sufficient to make likelihood determination.

I.3.1 Capacities in subject countries

104. The applicant has provided global figures of demand and capacity and claimed that global capacities are significantly higher than the demand and, therefore, the producers will always look for markets to export in order to utilize their idle capacities. As per the Applicant, the same applies for the producers in the subject countries as well. In the absence of specific information with regard to the capacities and demand in the subject countries, the Authority has considered information available on record.

SN	Region	Capacity in 2019	Demand in 000 Tonne			
			2020	2025	2030	2035
1	Asia	2040	3,018	3,677	4,382	5,168
2	Africa	1,50	42	48	58	63
3	Middle East	3,36	160	164	184	218
4	Central & Eastern Europe	185	123	138	160	189
5	North America	1225	938	1,058	1,201	1,346
6	South & Central America	40	66	69	78	91
7	Western Europe	750	776	843	934	1,034

Source: - Capacity in the above table has been taken from ICIS Chemical Business 2019 and demand is from Market Analytics: Oxo Alcohols – 2018 by Nexant.

I.3.2 Export orientation

105. Applicant has provided information with respect to capacities in the subject countries and average exports undertaken by them in last 10 years.

SN	Country	Capacity (MT/year)	Average Exports in last 10 years	Export as % of capacity
1	European Union	10,25,000	52,840	5%
2	Malaysia	2,72,000	1,04,433	38%
3	Singapore	55,000	32,681	59%
4	South Africa	1,50,000	1,41,785	95%
5	USA	12,30,000	1,60,867	13%

Source: - Capacity in above table has been taken from ICIS Chemical Business 2019 and exports from European Union as per Eurostat and exports from other countries as per Trademap.

106. It is seen that for barring European Union, more than 10% of the capacity has been used for the export purposes. It is also seen that exports as a percentage are significantly high for Malaysia, Singapore and South Africa.

I.3.3 Third country dumping

107. Table below shows volume of exports to third countries during period of investigation at prices below normal value.

SN	Particulars	Unit	European Union	Malaysia	Singapore	South Africa	USA
1	Volume of exports below normal value	MT	9,957	34825	9,801	132,802	98,066
2	Volume of exports above normal value	MT	1,518	28513	1,518	2,028	13,525
3	Total exports to third countries	MT	11,475	63,338	11,319	134,830	111,592
4	% of exports below normal value	%	87%	55%	87%	98%	88%
5	% of exports in demand in India below normal value	%	13%	47%	13%	178%	131%
		Range	10-20%	40-50%	10-20%	170-180%	130-140%

Source: - Exports from European Union as per Eurostat and exports from other countries as per Trademap.

108. The third countries export volumes which are below the normal value are significant in relation to third countries exports of respective countries and also significant in terms of demand in India.
109. The table below shows volume of exports by the participating producers to third countries (to unrelated customers) at dumped prices.

SN	Particulars	Unit	M/s BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	M/s Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.
1	Volume of exports below normal value	MT	***	***
2	Volume of exports above normal value	MT	***	***
3	Total exports to third countries	MT	***	***
4	% of exports below normal value	%	29%	100%
		%	20-30%	90-100%

Source: - Questionnaire Response from the responding producers and exporters.

110. From the above tables it is seen that significant exports from the subject countries to third countries are at dumped prices.

I.3.4 Continued dumping

111. The table below shows the dumping margin in case of previous investigation and current investigation. It is seen that the dumping of subject goods from the subject countries has continued and is significant.

SN	Country	Dumping margin in original investigation	Dumping margin in current investigation
1	European Union	15-20% & 30-35%	20-30%
2	Malaysia	0-5%, 10-15% & 15-20%	0-10%, 30-40%, 30-40%
3	Singapore	10-15%	10-20%
4	South Africa	10-15%	30-40%
5	USA	20-25%	30-40%

I.3.5 Price attractiveness

112. The domestic industry has submitted the volume of exports in respect of subject countries to third countries at prices below the Indian prices as illustrated in table below:

SN	Particulars	Unit	Europe	Malaysia	Singapore	South Africa	USA
1	Volume of exports below Indian Prices	MT	1,309	62,568	8,732	132,662	82,121
2	Volume of exports above Indian Prices	MT	10,166	770	2,588	2,168	29,470
3	Total exports to third countries	MT	11,475	63,338	11,319	134,830	111,592
4	% of exports below Indian Prices	%	11%	99%	77%	98%	74%
5	% of exports in demand in India below Indian Prices	%	2%	84%	12%	177%	110%
		Range	0-10%	80-90%	10-20%	170-180%	100-110%

Source: - Exports from European Union as per Eurostat and exports from other countries as per Trademap.

113. The third countries export volumes which are below the Indian prices are significant in relation to third countries exports of respective countries and also significant in terms of demand in India.
114. The table below shows volume of exports by the participating producers to third countries (to unrelated customers)

SN	Particulars	Unit	M/s BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	M/s Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.
1	Volume of exports below Indian prices	MT	***	***
2	Volume of exports above normal Indian prices	MT	***	***
3	Total exports to third countries	MT	***	***
4	% of exports below Indian prices	%	100%	2%
			90-100%	0-10%

Source: - Questionnaire Response from the responding producers and exporters.

115. From the above tables it is seen significant exports from the subject countries to third countries are at prices below Indian prices.

I.3.6 Injurious exports

116. Table below shows volume of exports in respect of subject countries to third countries at prices below NIP.

SN	Particulars	Unit	Europe	Malaysia	Singapore	South Africa	USA
1	Volume of exports below NIP	MT	1,825	62,872	9,747	132,664	92,278
2	Volume of exports above NIP	MT	9,650	466	1,572	2,166	19,313
3	Total exports to third countries	MT	11,475	63,338	11,319	134,830	111,592
4	% of exports below NIP	%	16%	99%	86%	98%	83%
5	% of exports in demand in India below NIP	%	2%	84%	13%	177%	123%
		Range	0-10%	80-90%	10-20%	170-180%	120-130%

Source: - Exports from European Union as per Eurostat and exports from other countries as per Trademap.

117. The table below shows volume of exports by the participating producers to third countries (to unrelated customers) at prices below the NIP of the domestic industry.

SN	Particulars	Unit	M/s BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	M/s Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.
1	Volume of exports below NIP	MT	***	***
2	Volume of exports above NIP	MT	***	***
3	Total exports to third countries	MT	***	***
4	% of exports below NIP	%	100%	5%
		Range	90-100%	0-10%

Source: - Questionnaire Response from the responding producers and exporters.

118. The applicant has submitted that there are significant exports to third countries which are at prices below the non-injurious price of the domestic industry. In an event the duties are not extended, the producers in the subject countries will divert these goods to India since the prices in Indian market are lucrative for them.
119. The table below shows that the volume of imports is below the non-injurious price of the domestic industry.

SN	Particulars	Imports below NIP (MT)	Total Imports (MT)	Share of imports below NIP
1	European Union	3,000	3,000	100%
2	Malaysia	8,235	8,235	100%
3	Singapore	8,986	8,986	100%
4	South Africa	13,431	13,431	100%
5	USA	12,560	12,593	100%

Source: DGCI&S transaction wise import data.

I.3.7 Imports during the present injury period

120. It is seen that the imports have increased over the period of investigation inspite the anti-dumping duty in force. Though the increase in imports was imminent due to increasing demand in India and demand-supply gap, the concern is about significant percentage of these imports below the non-injurious price of the domestic industry and the net selling price of the domestic industry.

I.3.8 Loss of market for the producers in the subject countries

121. The applicant has claimed that China was a primary market for the producers in subject countries. However, significant capacities have been set up in China in the recent years due to which the producers have lost China as a market. The table below shows exports from the subject countries to China in last 10 years.

SN	Year	European Union	Malaysia	Singapore	South Africa	United States of America
1	2010-11	47,625	76,956	40,085	63,750	59,545
2	2011-12	28,419	73,275	32,864	40,870	89,542
3	2012-13	32,577	62,270	34,979	34,360	55,912
4	2013-14	8,039	34,733	24,951	28,040	31,067
5	2014-15	26	25,558	9,001	16,780	80
6	2015-16	3,064	12,809	6,856	26,678	8,291
7	2016-17	563	35,108	11,476	33,893	32,437
8	2017-18	3,887	6,742	11,532	25,432	20,261
9	2018-19	46	6,754	3,004	32,330	11,153
10	POI (2019-20)	1,222	19,459	5,458	37,085	20,352

122. It is seen that the exports from all the subject countries have declined significantly over the years. The producers in the subject countries will, therefore, try to search for alternative markets to utilise surplus capacities.
123. The applicant has also stated that China has imposed anti-dumping duties on imports of the subject goods from Malaysia and United States of America. Further, Brazil has imposed anti-dumping duties on imports from South Africa in December, 2016 and extended duties on the imports from United States of America. The Authority notes that such investigations show the tendencies and practices of the producers/exporters from subject countries to dump goods in third countries and the likelihood of diversion of such exports to India if the existing duties were allowed to expire.

J POST-DISCLOSURE COMMENTS

124. The Authority issued a disclosure statement on 16.03.2021 disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under.

J.1 Submissions of the Domestic Industry

125. There is a need to protect the present and future investments in the industry, so that capacity in India will be higher than the demand in India which will make the imports unnecessary. Companies such as BPCL Kochi, Saudi Aramco and Abu Dhabi National Oil Co, Reliance Industries Limited, BASF SE along with Adani, Indian Oil Corporation (IOC) are lined with fresh investments in India for Oxo-Alcohol.
126. There is a significant difference in the dumping margin of the two responding producers in case of Malaysia (M/s BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd, Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.).
127. As per the information provided with respect to import price for both the producers of Malaysia, it is seen that overall, there is hardly a difference of Rs. 4 per Kg in the import price into India.
128. When two producers are operating under the same market economy conditions, the normal value of Petronas should be applied to BASF. Therefore, the Authority should consider the selling price of Petronas, and in the alternative, compare the cost of production of the two producers. In case there is significant difference between the cost of production between the two producers, the Authority should reject the cost of M/s BASF Petronas Chemicals Sdn Bhd and apply the adverse facts and consider normal value on the basis of domestic selling price of Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.
129. The fact that the importer is selling at losses clearly shows the importance of Indian market for the producer. The adjustment is confirmatory with the past practice of the Authority where net ex-factory price was adjusted, such as in case of, "Anti-dumping investigation concerning the imports of Toluene DiIsocyanate from European Union, Saudi Arabia, Chinese Taipei and United Arab Emirates".
130. The imposition of duties had no adverse impact on either the consumers or public in large, as various capacity expansions have been planned in the country in recent years, domestic industry has grown since the imposition of anti-dumping duties, and the financial statements have shown that the duties have not had any adverse impact of duties.
131. It has been the anti-dumping duties in force which have paved the way for various capacity expansions in the country showing that the duties have been in public interest.
132. It is impossible that foreign producers have no idea with regard to capacity and demand in their domestic market. It is a clear suppression of facts and should be treated as wilful non-cooperation.
133. Domestic industry has referred to decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Holder Topsoe and stated that the observation of this Court was with reference to a proceeding in a court of law and is equally applicable to the investigation conducted by the Authority in which it has the duty of appreciating evidence placed before it and also has the statutory authority of drawing adverse inference in the circumstances enumerated in Rule 6(8) of the Rules.
134. Considering nature of production process, producers of Oxo Alcohol can interchangeably utilise production capacities of 2-ethyl hexanol for production of Normal Butanol and vice versa.
135. Producers in the subject countries can utilise their idle capacities for 2 Ethyl Hexanol for production of Normal Butanol as well.

SN	Region	Capacity in 2019 (000 Tonne)			Demand in 2020 (000 Tonne)		
		NBA	2EH	Total	NBA	2EH	Total
1	Asia	2,040	3,703	5,743	3,018	3,255	6,273
2	Africa	150	-	150	42	10	52
3	Middle East	336	195	531	160	178	338
4	Europe	935	960	1,895	899	485	1,384
5	America	1,265	1,370	2,635	1,004	587	1,591
	Total	4,726	6,228	10,954	5,123	4,515	9,638

136. The fact that one of the responding producers exports entire production and has no sales in the domestic market, shows that capacities are in excess of demand and the producers are heavily export oriented.
137. Anti-dumping duty is redressal of unfair price discrimination by producers in other countries, which is injurious to the industry in India and is not a protection to the industry.
138. Financial statements of the company as a whole for period in first half of 2021-22 will show improvement but the same is on a company level. Profits of the domestic industry have continued to remain impacted.

J.2 Submissions of other interested parties

139. The producer in the present investigation is Petronas Chemicals Derivatives Sdn Bhd or PCD. The goods produced by PCD are marketed by PCML. However, the name of the producer is incorrectly mentioned as Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Limited or PCML in the dumping and injury margin tables.
140. Under the normal value paragraph for the Respondents, the facts relating to some other entity namely PT Petro Oxo Nusantara, Indonesia have been mentioned.
141. The Authority has determined the normal value and dumping margin for the Respondents on a flawed basis, as the Authority has computed the net ex-factory export price and normal value for the respondents on a weighted average basis for the POI. They should be modified on the basis of alternative methodologies permitted under Annexure-1 to the AD Rules.
142. The Turnaround time and consequent shutdown is a statutory requirement under Malaysian law. As is clearly evident, during this period, the costs were abnormally high and were not reflective of the normal costs of production of PUC by the Respondents. The Authority has considered the abnormal weighted average cost of USD *** /MT to compute the profitable domestic sales of the Respondents which makes the dumping margin as abnormally high and not reflective of normal fact situation. The effect of these abnormally high costs during the turnaround time should be removed while calculating the weighted average costs and the dumping margin.
143. The Authority should normate the cost of production as was done by the Authority in the original investigation.
144. There had been a constant downward trend during the period of investigation in the global prices of PUC and that's why computing the dumping margin on the basis of weighted average basis would give skewed and distorted results. Dumping margin should be determined on transaction-to-transaction basis.
145. The injury margins determined by the Authority effectively penalizes the participating producers and incentivizes non-participation.
146. Since the NIP is constant, the injury margin of Malaysia should have been in the same range as that of South Africa and Singapore. For the USA, it must have been higher than Malaysia as its landed price is lower.
147. As per the market information the producers in subject countries (for instance, Eastman Chemicals in Singapore and Sasol in South Africa) also follow the international price trends while exporting to India. Hence, for this reason also, there should not have been any differences in the landed values and injury margins for Respondents and non-participating producers.

148. The Authority has relied on Annexure-II of the AD Rules for the determination of injury. However, the Authority has ignored that paragraph (vii)(a) of the same annexure also provides that there should be “a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation”.
149. A mere analysis of the year 2018-19 with the POI does not give a correct picture. The analysis of 2018-19 with the POI needs to be coupled with an analysis of the end-point-to-end-point comparison of the 2016-17 (base year) with the POI to get the true picture of the economic performance of the domestic industry during the entire injury investigation period.
150. Authority is required to adjust the non-injurious price and other economic parameters for injury as well as causal link analysis as was done in Anti-dumping investigation concerning imports of ‘Purified Terephthalic Acid’), originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP, and Thailand.
151. The Authority has not assessed Eastman’s request of taking a record, that the company has not exported the subject goods during the POI and therefore, eligible to file a new shipper review application (as and when required) for determination of the individual rate of duty in terms of the Customs Tariff Act, 1975 (‘Act’) and Rule 23 of the Anti-dumping Rules (‘AD Rules’).
152. No examination has been undertaken by the Authority regarding the imports of subject goods at Mumbai, Delhi, and Hyderabad Airport, the same was not taken into account for the evaluation of volume and price injury.
153. While determining the normal value for the USA, the Authority has noted that none of the producer/exporters from the USA participated in the investigation, however, this statement is incorrect as Eastman Chemical Company, a producer from the USA participated in the investigation, however, the exporter’s questionnaire response was not filed since the company has not exported the subject goods during the POI as well as during the injury period.
154. Despite the fact that the Export price [for the USA] has been determined on the basis of facts available, the Authority has not recorded the computed export price in the Disclosure Statement and claimed the same as confidential.
155. Since the facts available adopted by the Authority for computation of ex-factory export price are non-confidential, the Authority is requested to reflect data of export price, price adjustments, and ex-factory export price in the Final Findings.
156. The Authority has undertaken a limited examination of injury to the Domestic Industry occurred on account of the shortage of raw material, the Authority has failed to analyze the impact of the same on the economic parameters of the Domestic Industry.
157. The Authority in the anti-dumping final findings concerning imports of Purified Terephthalic Acid (PTA), originating in or exported from China PR, European Union, Korea RP, and Thailand issued vide N.No.14/7/2013-DGAD has adjusted the adverse impact of other factors while computing the NIP, whereas the Authority in the present investigation has not adjusted the impact of production curtailment on NIP and other factors, despite acknowledging that the same adversely impacted production, capacity utilization, sales, market share, and other economic parameters.
158. The Authority ought to have adjusted the impact of raw material shortage by extrapolating data of the Domestic Industry for all the injury parameters.
159. There is no proper information nor sufficient time provided to the respondents along with all the details of the calculation of the SGA expenses to enable them to offer their meaningful comments.
160. The apportionment of the total expenses of the importer to PUC on sales revenue basis is wrong and will lead to absurd results.
161. The importer is engaged both in the manufacturing as well as trading (high sea sales) of the products. The SGA expenses for the trading activity are significantly lower as compared to the SGA expenses for manufacturing activity as costs like service cost, employee cost for manufacturing, storage cost, loading and unloading etc. are not incurred for trading sales (high sea sales). The company is also engaged in high sea sales, which is evidenced from the fact that the bill on entry is filed directly by the customer and not by the importer. The complete set of sample invoices were already filed with the Authority as a part of the verification documents.

162. The PUC falls in the Petrochemicals (CP) division. Accordingly, the expenses of the Petrochemicals (CP) division were allocated to PUC on the following basis: a) The cost of CP division has been allocated to PUC on the basis of the number of orders processed. b) The total cost apportioned to PUC is then allocated to PUC from Malaysia on the basis of sales revenue.
163. It may also be noted that the BASF India Limited has not received any communication from the Authority regarding SGA at any stage of the investigation. No opportunity was provided to the importer to justify its claim regarding SGA of PUC (Malaysia).
164. There are only two producers of the subject goods in Malaysia and both have cooperated. Accordingly, it is incorrect to conclude that the specific information with regard to the capacities and demand are not available.
165. The Authority has not clarified that for carrying out the exporter specific analysis whether the actual normal value of the exporter has been considered or not.
166. It is not mentioned by the Authority in the disclosure statement that it has found pattern of export prices, which cannot be taken into account appropriately by the use of weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.
167. The purpose and object of the Appendices in the End User Questionnaire are to examine the impact on the end users. Therefore, it is incorrect for the hon'ble Designated Authority to conclude that no data was provided by the End Users to establish or calculate the impact.
168. If the DI produce and supply the subject goods in adequate quantity imports will sharply reduce and in that case all the likelihood parameters considered as of now will become irrelevant.
169. Thus, the focus while examining the likelihood should be on the internal issues of the DI and no ADD should be continued if the challenge of the DI is only their internal issues and the facts of the present case shows the DI is vulnerable to their own issues and not imports.

J.3 Examination by the Authority

170. The Authority has examined post disclosure statement comments by the domestic industry and other interested parties including re-iterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paragraphs of these final findings. The issues raised in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below:
 - i. On the submission raised by the domestic industry on normal value of BASF, the normal value of BASF has been taken in accordance with the consistent practice of the Authority.
 - ii. Domestic industry has stated that the producers of 2 EH can utilize their production facilities for the production of normal butanol and the capacities in India should be compared cumulatively. It would be seen that the cumulative capacities globally are higher than the demand in India.
 - iii. On the submission of other interested parties to adjust the non-injurious price of the domestic industry due to loss of production owing to shortage of raw material, Authority notes that there was no complete shutdown of plant of the applicant due to raw material unavailability. There was continuous production by the applicant although with lower rate of production. In any case, the Authority has adequately normated the capacity of the applicant for the purpose of calculation of non-injurious price. Further, Authority determined the profit, cash profits and ROI of the domestic industry after adjusting the production to account for loss of production due to raw material shortage and found that the data still shows material decline in profit, cash profits and ROI of the domestic industry in the POI. It is evident that the decline in profit, cash profits and ROI is largely due to price and not due to loss of production. The decline in profit, cash profits and ROI due to shutdown is quite nominal.
 - iv. It has been stated that the information with regard to capacity and demand for Malaysia was provided by the responding producers. It is seen that out of the 5 subject countries, there has been active participation from Malaysia only. Therefore, information with respect to capacity and demand for the other subject countries is not available with the Authority. Authority has considered capacity and demand for Malaysia alone and the same is shown below. It is seen that the capacities in Malaysia are significantly higher than the demand in the country and one of the producers has used its entire production for export operations only.

SN	Particular	Quantum in MT
1	Capacity in Malaysia	***
2	Domestic sales	
a	BASF Petronas Chemicals Sdn. Bhd.	***
b	Petronas Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.	***
3	Surplus capacity	***

Source: - Domestic sales taken from the response filed by the responding producers.

- v. The Authority has examined the price attractiveness, third country dumping and injurious exports as per consistent methodology for such analysis.
- vi. On the comments made on injury analysis done by comparison with only the preceding year, the Authority has examined the performance of the domestic industry over the injury period. It is seen that the performance of the domestic industry has deteriorated in comparison to preceding year as well as year prior to preceding year. Comparison with base year shows that the performance in the POI was better than the base year. The conclusion drawn by the Authority with regard to likelihood is however based on the performance in the POI, considering that the same is most appropriate to consider the likely situation in the event of cessation of ADD.
- vii. Submission of Petronas with regard to the name has been adequately taken care.
- viii. On the submission that duties can be fixed in the form of 'trigger price' or 'variable basis', the Authority considers that fixation of trigger duty shall not serve the purpose stated by the party. Further, the Authority has concluded need for extension of duty on the grounds of likelihood of injury to the domestic industry. Such being the case, the Authority considers appropriate to extend the existing duties, in the same form and quantum as was in force.
- ix. For the purpose of examination of export orientation, Authority has compared the capacity with exports of last 10 years to ensure that exports of sufficient representative years are considered for the analysis.
- x. The Authority has examined the goods imported at Mumbai, Delhi and Hyderabad Airport and found that these are primarily sampled goods with very insignificant quantity and high price. It is further noted that these goods are not traded goods, there is no reason to consider them for the purpose of injury analysis.
- xi. Authority considers that sufficient time and opportunity has been provided to the interested parties to offer meaningful comments on the disclosure statement and calculation of ex-factory export price.
- xii. As regards contention of BASF, Authority notes that the questionnaire very clearly requires the responding parties to provide all documents and source material along with response. The party has however failed to provide any such information while filing questionnaire response. The contention of the interested party that no opportunity has been provided to the importer is without any basis. On the contrary, the questionnaire itself very clearly specifies the requirements and the interested party has failed to adhere to these requirements.
- xiii. As regards the contention that determination of dumped, injurious or price attractive volumes based on individual transactions is inappropriate and is flawed, the Authority notes that the methodology adopted by the Authority is the consistent with the practice of the Authority. While stating that the methodology is flawed, the party has not established the same. The purpose of the analysis is to quantify the volume of exports to third countries which could be diverted to India in the event of cessation of ADD. The responding exporter has provided no document to substantiate that it is unlikely to divert its third country exports to India if they are likely to get a better price in the Indian market in the event of cessation of ADD. Reference to Annexure-I is inappropriate in this regard. Annexure-I is relevant to determination of current dumping. Authority has however followed this methodology for determination of likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of ADD.

- xiv. As regard Petronas claim to normalise the cost, the Authority notes that the Rules provides for cost adjustment for expenses incurred during start-up operations in case of new production facilities. However, the situation of start-up operations did not arise in present case.
- xv. The Authority notes that whereas one exporter has contended determination of dumping margin on the basis of weighted average, one exporter has contended determination of dumping margin on transaction-to-transaction basis. However, the mere fact that the prices have seen downward trend does not imply that weighted average methodology is inappropriate.
- xvi. As regards Eastman contention, the Authority notes that the objective of present investigation is not examination of whether the exporter is eligible for new shipper review. The exporter is free to make its claim in accordance with the law in the event of extension of present ADD.

K INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

- 171. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.
- 172. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

L CONCLUSION

- 173. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
 - i. There is continued dumping of the subject goods from subject countries and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
 - ii. Though the performance of the domestic industry has improved till 2018-19 from the base year, its performance has suffered deterioration within the POI, and thus, the domestic industry remains vulnerable due to dumping of the subject goods from the subject countries. Therefore, there is likelihood of injury in the event of expiry of duty.
 - iii. The information on record shows likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage. The data analysis shows that the entire volume of imports of the subject goods into India from all the subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry and that significant volume of exports by the subject countries as well as the participating producers from the subject countries to the third countries is below the non-injurious price of the domestic industry, indicating strong likelihood of diversion of exports of the subject goods from the countries to India if the existing anti-dumping measure ceases to exist.

M RECOMMENDATIONS

- 174. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers/users and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the authority is of the view that continued imposition of Anti-Dumping Duty is required on subject goods from subject countries.

175. Under these circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from subject countries. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Notification no. 13/2016-Customs (ADD) dated 13-04-2016. Therefore, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, as detailed in column 3 of the duty table, from subject countries for a further period of five years.

DUTY TABLE

S.N.	*Subheading/ Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1)	29051300	Normal Butanol or “N-Butyl Alcohol”	European Union	Any country including European Union	Any	46.27	MT	US\$
2)	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	European Union	Any	46.27	MT	US\$
3)	-Do-	-Do-	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s PETRONAS Chemicals Derivatives Sdn. Bhd.	51.42	MT	US\$
4)	-Do-	-Do-	Malaysia	Any country including Malaysia	M/s BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd.	26.59	MT	US\$
5)	-Do-	-Do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any other than producer at S. No. 3 & 4	149.31	MT	US\$
6)	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Malaysia	Any	149.31	MT	US\$
7)	-Do-	-Do-	Singapore	Any country including Singapore	Any	35.66	MT	US\$
8)	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	Singapore	Any	35.66	MT	US\$
9)	-Do-	-Do-	South Africa	Any country including South Africa	Any	13.24	MT	US\$

10)	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	South Africa	Any	13.24	MT	US\$
11)	-Do-	-Do-	USA	Any country including USA	Any	24.16	MT	US\$
12)	-Do-	-Do-	Any other than the subject countries	USA	Any	24.16	MT	US\$

176. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time.

N FURTHER PROCEDURE

177. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority